प्रश्नपत्र–4 : कराधान

(PAPER–4 : TAXATION)

भाग–I : वैधानिक अपडेट

1 मई, 2015 तथा 31 अक्टूबर, 2015 के मध्य जारी आयकर तथा अप्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण अधिसूचना तथा परिपत्र

A. आयकर

I अधिसूचना

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की अधिसूचना (अधिसूचना संख्या 60/2015, दिनांक 24.7.2015)

धारा 48 की स्पष्टीकरण का वाक्य (v)''लागत मुद्रास्फीति सूचकांक'' का गत वर्ष के संबंध में सूचकांक से अर्थ है जो केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में इस प्रकार के गत वर्ष से एक दम पहले वाले गत वर्ष के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75% का ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करती है।

तदनुसार, धारा 48 की स्पष्टीकरण का वाक्य (v) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 1081 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक निर्दिष्ट किया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति सूचकांक	क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
1.	1981-82	100	12.	1992-93	223
2.	1982-83	109	13.	1993-94	244
3.	1983-84	116	14.	1994-95	259
4.	1984-85	125	15.	1995-96	281
5.	1985-86	133	16.	1996-97	305
6.	1986-87	140	17.	1997-98	331
7.	1987-88	150	18.	1998-99	351
8.	1988-89	161	19.	1999-2000	389
9.	1989-90	172	20.	2000-01	406
10.	1990-91	182	21.	2001-02	426
11.	1991-92	199	22.	2002-03	447

© The Institute of Chartered Accountants of India

23.	2003-04	463	30.	2010-11	711
24.	2004-05	480	31.	2011-12	785
25.	2005-06	497	32.	2012-13	852
26.	2006-07	519	33.	2013-14	939
27.	2007-08	551	34.	2014-15	1024
28.	2008-09	582	**35.**	**2015-16**	**1081**
29.	2009-10	632			

2. एक भारतीय नागरिक जो भारत को छोड़ने वाले विदेश को जाने वाले जहाज के चालक दल (Crew) का सदस्य है, के लिए भारत में ठहरने की अवधि का निर्धारण का आधार (अधिसूचना संख्या 70/2015, दिनांक 17.8.2015)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6(1) प्रावधान करता है कि यह गत वर्ष में भारत का निवासी कहा जाता है यदि वह–

(a) 182दिन अथवा अधिक की अवधि अथवा कम अवधि के लिए एकवर्ष में भारत में है अथवा

(b) उस वर्ष से पहले चार वर्षों के अंदर 365 दिन अथवा अधिक की अवधि के लिए भारत में रहकर उस वर्ष में 60 दिवस अथवा उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा।

यद्यपि जहां पर भारतीय नागरिक भारत में रहता है अथवा भारत से बाहर रोजगार के उद्देश्य के लिए भारत छोड़ता है, वह तब ही भारत का निवासी होगा, यदि वह गत वर्ष के दौरान 182 दिन के लिए भारत में रहता है।

इसलिए, धारा 6(1) के अन्तर्गत भारत में निवासी होने के लिए कार्य द्वारा संतुष्ट की जाने वाली शर्तों का प्रावधान किया। निवासी स्थिति का गत वर्ष के दौरान भारत में उसके प्रवास की संख्या पर निर्धारित की जाती है।

यद्यपि विदेश में जाने वाले जहाज के मामले में, जहाँ पर यात्रा करता है वह भारत से बाहर है, एक भारतीय नागरिक जो चालक दल सदस्य है के लिए भारत में प्रवाह की अवधि का निर्धारण व अधिकार तथा तरीके के बारे में अनिश्चितता है।.

इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए धारा 6(1) में स्पष्टीकरण 2 को डाला जो प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा भारत को छोड़ने वाले विदेश जाने वाला जहाज का सदस्य है, इस यात्रा के संबंध में भारत में प्रवास की अवधि का निर्धारण निर्धारित तरीके तथा निर्धारित शर्तों के तहत होगा।

तदनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने धारा 295 के साथ पढ़कर धारा 6(1) की स्पष्टीकरण 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में इस अधिसूचना के जरिये 1 अप्रैल,

© The Institute of Chartered Accountants of India

2015 के पूर्ववर्ती प्रभाव से इस प्रकार के मामले में प्रवास की अवधि की गणना के लिए आयकर नियम, 1962 में नियम 126 को डाला।

नियम 126 के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा एक जहाज के चालक दल का सदस्य है, इस प्रकार की पात्र यात्रा के संबंध में भारत में प्रवास की अवधि में पात्र यात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा जहाज में प्रवेश करने के संबंध में लगातार मुक्ति प्रमाणपत्र में प्रविष्ट तिथि से आरंभ अवधि तथा इस प्रकार की यात्रा के संबंध में जहाज से उस व्यक्ति द्वारा उतरने के संबंध में लगातार मुक्ति प्रमाणपत्र में प्रविष्ट तिथि को समाप्त अवधि सम्मिलित नहीं है।

इस नियम का स्पष्टीकरण निम्न शब्दों के अर्थ को परिभाषित करता है :

शब्द	अर्थ
लगातार मुक्ति प्रमाणपत्र	इस शब्द का अर्थ व्यापारिक जहाज रानी अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत बनाये व्यापारिक जहाज रानी (लगातार मुक्ति प्रमाणपत्र–सह–नाविक पहचान प्रपत्र) नियम, 2001 में निर्दिष्ट अर्थ से है।
पात्र यात्रा	एक अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों का ढोने अथवा भाड़े में लिप्त एक जहाज द्वारा की गयी यात्रा जहां पर : (i) भारत में किसी बंदरगाह से आरंभ यात्रा, जिसका भारत से बाहर किसी बंदरगाह में गंतव्य है; तथा (ii) भारत से बाहर किसी बंदरगाह से आरंभ यात्रा जिसका भारत में किसी बंदरगाह में गंतव्य है।

3. बिहार के कुछ जिलों को धारा 32(1)(iia) तथा धारा 32AD(1) के प्रथम उपबंध के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया (अधिसूचना संख्या 71/2015, दिनांक 17.8.2015)

आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 32AD(1) प्लांट तथा मशीनरी की स्थापना वाले गत वर्ष से प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में अधिगृहीत तथा स्थापित नयी प्लांट तथा मशीनरी की वास्तविक लागत का 15% के बराबर राशि की कटौती को प्रदान करता है यदि करनिर्धारी द्वारा निम्न शर्तों को पूरा किया है।

(a) करनिर्धारी ने आंध्र प्रदेश अथवा बिहार अथवा तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल का राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन के लिए उपक्रम अथवा उद्यम को स्थापित किया है।

(b) करनिर्धारी ने उक्त पिछड़ा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 तथा 31 मार्च, 2020 के मध्य अवधि के दौरान उक्त उपक्रम अथवा उधम के उद्देश्य के लिए नये प्लांट तथा मशीनरी को अधिगृहीत तथा स्थापित किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में निर्माणी इकाई की स्थापना के लिए प्लांट तथा मशीनरी का अधिग्रहण तथा स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक निर्माणी उपक्रम अथवा उद्यम जिसे 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् इन निर्दिष्ट राज्यों के अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित के द्वारा 1 अप्रैल, 2015 तथा 31 मार्च, 2020 के मध्य अवधि के दौरान अधिगृहीत तथा स्थापित नयी मशीनरी अथवा प्लांट (जहाज तथा वायुयान को छोड़कर) की वास्तविक लागत के संबंध में 35% (20% की बजाय) की दर से उच्च अतिरिक्त ह्रास की आज्ञा के लिए धारा 32(1)(iia) में प्रथम उपबंध को डाला है।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने धारा 32(1) (iia) तथा धारा 32AD(1) के प्रथम उपबंध के अन्तर्गत बिहार राज्य के निम्न 21 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया :

क्रम संख्या	जिला	क्रम संख्या	जिला
1.	पटना	12.	समस्तीपुर
2.	नालंदा	13.	दरभंगा
3.	भोजपुर	14.	मधुबनी
4.	रोहतास	15.	पूर्णिया
5.	कैमूर	16.	कटिहार
6.	गया	17.	अररिया
7.	जहानाबाद	18.	जमुई
8.	औरंगाबाद	19.	लक्खीसराय
9.	नवादा	20.	सुपौल
10.	वैशाली	21.	मुजफ्फरपुर
11.	शिवहर		

4. धारा 10 (22B) के उद्देश्य के लिए अधिसूचित समाचार एजेंसी (अधिसूचना संख्या 72/2015, दिनांक 24.8.2015)

धारा 10(22B) प्रावधान करती है कि समाचार का संग्रहण तथा वितरण के लिए एकमात्र रूप से स्थापित समाचार एजेंसी जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचित कर सकती है कि आय इस शर्त के साथ विमुक्त होगी कि इस प्रकार की समाचार एजेंसी अपनी आय को अथवा उसे समाचार के संग्रहण तथा वितरण के लिए एकमात्र रूप से लागू करती है तथा अपने सदस्यों को किसी तरीके में आय को वितरित नहीं करती है।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के जरिये तीन कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए धारा 10(22B) के उद्देश्य के लिए समाचार के संग्रहण तथा वितरण के लिए एकमात्र रूप से स्थापित समाचार एजेंसी के रूप में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई

© The Institute of Chartered Accountants of India

दिल्ली को निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार की समाचार एजेंसी की आय को तीन वर्षों के लिए इस प्रकार की एजेंसी के लिए गत वर्ष के लिए कुल आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा बशर्ते यह समाचार के संग्रहण तथा वितरण के लिए आय को लागू करती है अथवा संगृहीत करती है तथा अपने सदस्यों को किसी भी तरीके में आय को वितरित नहीं करती है।

5. नियम 2BB के अन्तर्गत परिवहन भत्ता के संबंध में विमुक्ति को गूंगे बहरे कर्मचारी तक बढ़ाया (अधिसूचना संख्या 75/2015, दिनांक 23.09.2015)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने धारा 295 जिसे धारा 10(14) के साथ पढ़ा जाये, के द्वारा प्रदत्त अधिकार के उपयोग में धारा 2BB को संशोधित किया जो अन्य के अतिरिक्त एक कर्मचारी को प्रदान परिवहन भत्ता के संबंध में ₹ 1,600 तक तथा नीचे हाथ–पैर की अपंगता के साथ अस्थि रोग अपंग अथवा नेत्रहीन कर्मचारियों के लिए ₹ 3,200 तक विमुक्ति की सीमा को अपने कर्तव्यों के स्थान तथा निवास स्थान के मध्य यात्रा करने के उद्देश्य के लिए उस पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया है।

इस अधिसूचना के जरिये संशोधन के तहत, निवास स्थान तथा कर्तव्य के स्थान के मध्य यात्रा के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक नेत्रहीन अथवा गूंगे तथा बहरा अथवा नीचे हाथपैर की अपंगता वाले अस्थि रोग अपंग द्वारा परिवहन भत्ता के संबंध में ₹ 3,200 प्रतिमाह की दर तक विमुक्ति का दावा कर सकता है।

II. परिपत्र

1. निगम जिनकी धारा 10(26BBB) के अन्तर्गत आय विमुक्त है को किये गये भुगतान से कर कटौती नहीं की जायेगी (परिपत्र संख्या 7/2015, दिनांक 23-04-2015)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले परिपत्र संख्या 4/2002,दिनांक 16.07.2002 को जारी किया जो रखता है कि इस प्रकार की इकाइयों को किये गये भुगतान से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है जिसकी आय धारा 10 के अन्तर्गत बिना शर्त विमुक्त है तथा जिसे वैधानिक रूप से धारा 139 के अनुसार आय की विवरणी को फाइल करना आवश्यक नहीं है।

01.04.2004 के प्रभाव से वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा डाली धारा 10(26BBB) भूतपूर्व सैनिक जो भारत के नागरिक का कल्याण तथा आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के द्वारा स्थापित एक निगम को विमुक्त करता है। धारा 10(26BBB) के अन्तर्गत कवर निगम को धारा 139 के अनुसार आय की विवरणी को वैधानिक रूप से फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि क्योंकि धारा 10(26BBB) के अन्तर्गत कवर निगम परिपत्र संख्या 4/2002 की दो शर्तों को पूरा करता है अर्थात् धारा 10 के अन्तर्गत आय की बिना शर्त विमुक्ति तथा साथ में धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आय की विवरणी को फाइल करना आवश्यक नहीं है। वे उक्त परिपत्र का लाभ के लिए हकदार होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतएव, इस प्रकार से निगम को किया भुगतान से स्रोत से कर कटौती की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी आय धारा 10 के अन्तर्गत विमुक्त है।

2. परित्याग फीचर फिल्म के मामले में धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रोडक्शन की लागत के संबंध में कटौती (परिपत्र संख्या 16/2015, दिनांक 6.10.2015)

एक गत वर्ष में फिल्म सेंसर्स बोर्ड द्वारा रीलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म की प्रोडक्शन की लागत के संबंध में कटौती को नियम 9Aमें प्रदान किया है।

हलांकि परित्याग फिल्म के संबंध में, क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता, कुछ मामलों में नियम 9Aको लागू करके अथवा व्यय को पूँजी व्यय के रूप में मानकर किसी कटौती की आज्ञा नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस विषय पर न्यायिक निर्णय के प्रकाश में मामले का परीक्षण किया। इस विषय पर *Venus Records* तथा *Tapes Pvt. Ltd.*के मामले में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का दिनांक 28.1.2015 (2013 का ITA 310)का आदेश को स्वीकृत किया तथा उपर्युक्त विवाद पर आगे विवाद नहीं किया।

परिणामतः यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 9A त्याग फीचर फिल्म पर लागू नहीं होता तथा परित्याग फीचर फिल्म पर उत्पन्न व्यय को पूँजीगत व्यय नहीं माना जाता। परित्याग फीचर फिल्म की प्रोडक्शन की लागत को राजस्व व्यय माना जाता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत है।

B. अप्रत्यक्ष व्यय

अध्याय 5 : विमुक्ति तथा छूट

1. विद्युत मंत्रालय की विद्युत सिस्टम विकास निधि के अन्तर्गत प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त है।

विद्युत मंत्रालय की विद्युत सिस्टम विकास निधि के अन्तर्गत प्रदान करयोग्य सेवा को निम्न के जरिये सेवा कर से विमुक्ति अधिसूचना में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा होने के तहत विमुक्ति प्रदान की है।

(A) Gas Authority of India Limited (GAIL) द्वारा आयातित (LNG) तरलीकरण प्राकृतिक गैस का पुनः गैसीफिकेशन।

(B) निर्दिष्ट विद्युत सृजन कम्पनियों अथवा प्लांट को वृद्धि गैर–गैसीफाइड प्राकृतिक गैस(RLNG) (e-bid RLNG) गैस का परिवहन।

यद्यपि, विमुक्ति उपलब्ध नहीं होगी यदि RLNG तथा LNGको विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(8) में परिभाषित केपिटेप सृजन प्लांट द्वारा विद्युत उर्जा के सृजन के लिए प्रयुक्त किया है।

आगे, विमुक्ति 31.03.2017 तक वैध होगा।

(अधिसूचना संख्या 17/2015, दिनांक 19.05.2015)

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. योग को धर्मार्थ गतिविधियों में सम्मिलित किया है।

मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012ST,**दिनांक** 20.06.2012 **धर्मार्थ गतिविधियों के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा सेवा को विमुक्त करता है।**

धर्म अथवा आध्यात्मिकता के बढ़ावा से संबंधित गतिविधियों को धर्मार्थ गतिविधियों की परिभाषा में सम्मिलित है। अब इसमें योग को सम्मिलित किया है। इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ इकाइयों द्वारा प्रदान योग का बढ़ावा से संबंधित सेवा सेवा कर के लिए दायी नहीं होगा। उदाहरणतया, धर्मार्थ न्यास के द्वारा परिचालित योग कार्य के लिए वसूल शुल्क पर सेवा कर भुगतानयोग्य नहीं होगा।

3. (i) प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा कवर मूल बचत बैंक जमा खाता के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता/व्यापार व्यवहारी, तथा (i) इस प्रकार की सेवा के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता/व्यापार व्यवहारी को एक मध्यवर्ती द्वारा प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त होगी।

वित्तीय समावेश का संवर्द्धन करने के लिए, बैंकिंग कम्पनियों की ग्रामीण क्षेत्र कम्पनियों में खाता खोलने, नकद जमा, नकद आहरण, सजीवन प्रमाणपत्र तथा आधार सिडम के जरिये प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा कवर मूल बचत बैंक जमा खाता के संबंध में बैंकिंग कम्पनी को व्यापार सुलभकर्ता अथवा व्यापार व्यवहारी द्वारा प्रदान सेवा को सेवा कर से विमुक्त करने के लिए मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST,दिनांक 20.06.2012 को संशोधित किया है। आगे उपर्युक्त वर्णित सेवा के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता अथवा व्यापार व्यवहारी के रूप में एक व्यक्ति को प्रदान सेवा को भी सेवा कर से विमुक्त किया है।

इस उद्देश्य के लिए मूल बचत बैंक खाता को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शिता के अंदर खोले मूल बचत बैंक जमा खाता से है।

(अधिसूचना संख्या 20/2015ST, दिनांक 21.10.2015)

4. वस्तु के परिवहन के दौरान वस्तु परिवहन एजेंसी (GTA) के द्वारा प्रदान सहायक सेवा पर 70% छूट उपलब्ध होगी।

यह स्पष्ट किया गया है कि सहायक सेवा जैसा चढ़ाई/उतराई, पैकिंग, गैरपैकिंग, यानांतरण, अस्थायी भंडारण इत्यादि वस्तु परिवहन एजेंसी परिवहन सेवा का भाग बनेगा यदि इस प्रकार की सेवा को वस्तु के परिवहन के दौरान वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदान किया है तथा इस प्रकार की सेवा के लिए प्रथम को वस्तु परिवहन एजेंसी (GTA)के द्वारा जारी इंवॉयस में सम्मिलित किया है तथा ना कि अन्य व्यक्ति द्वारा।

इसलिए, वस्तु परिवहन एजेंसी सेवा को लागू 70% की छूट सहायक सेवा पर भी लागू होगी। अन्य शब्दों में, एक एकल सम्मिलित सेवा को हिस्से में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे पृथक् सेवा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सम्मिश्रित सेवा को मुख्य सेवा पर आधारित एकल सेवा पर मानना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले में

© The Institute of Chartered Accountants of India

जहां पर वस्तु परिवहन एजेंसी निर्दिष्ट समय के अंदर गंतव्य पर वस्तु को सुपुर्द करने का वचन देता है, इसे वस्तुओं का परिवहन के संबंध में वस्तु परिवहन एजेंसी की सेवा के रूप में मानना चाहिए। इसलिए 70% की छूट लागू होगी यदि वस्तुओं का समस्त परिवहन सड़क के द्वारा तथा वस्तु परिवहन एजेंसी प्रेषणी नोट जारी करता है चाहे कुछ नाम देवें।

(परिपत्र संख्या 186/5/2015ST,दिनांक 05.10.2015)

अध्याय 7: सेनवैट क्रेडिट

5. जन शक्ति आपूर्ति/सुरक्षा सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदानकर्ता को नियम 5B के अन्तर्गत सेनवैट क्रेडिट की वापसी नहीं

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 की नियम 5B प्रदान करता है कि अधिसूचित रिवर्स प्रभार सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदानकर्ता जो इस प्रकार की आउटपुट सेवा पर सेवा कर का भुगतान के लिए इनपुट तथा इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को प्रयुक्त करने में असमर्थ रहता है को इस प्रकार का अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी की आज्ञा होगी।

इस संबंध में, पहले निम्न आंशिक रिवर्स प्रभार सेवा को अधिसूचित किया :

(i) किसी व्यक्ति जो इस प्रकार के व्यापार में लिप्त नहीं है को गैर–छूट मूल्य पर यात्रियों को ढोने के लिए डिजाइन मोटर वाहन का किराया;

(ii) बिना उद्देश्य अथवा सुरक्षा सेवा के लिए जनशक्ति की आपूर्ति; अथवा

(iii) वर्क्स ठेका की निष्पादन में सेवा भाग।

01.04.2015के प्रभाव से, किसी उद्देश्य अथवा सुरक्षा सेवा के लिए जनशक्ति की आपूर्ति के संबंध में सेवा कर पूर्ण रिवर्स प्रभार के आधार पर भुगतानयोग्य है, उक्त सेवा का सेवा प्रदानकर्ता इस प्रकार की आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान पर इनपुट तथा इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी के लिए पात्र नहीं होगा। आगे, वापसी का दावा के लिए फार्म A में आवेदन को आवश्यक रूप से संशोधित किया है।

उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है।

(अधिसूचना संख्या 15/2015 CE (NT), दिनांक 19.05.2015)

6. चीनी मौसम 2015-16 में गन्ना पिराई से सृजित शीरा से उत्पादित इथनोल के मामले में नियम 6 के अन्तर्गत क्रेडिट की वापसी की आज्ञा नहीं है (सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 6(6) में डाला वाक्य (ix)

नियम 6 का उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) का प्रावधान चीनी मौसम 2015-16 अर्थात् 1 अक्टूबर, 2015 से अधिसूचना संख्या 12/2012CE,दिनांक 17.03.2012 के अन्तर्गत पेट्रोल का मिश्रण के उद्देश्य के लिए इंडियन ऑयल कम्पनी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अथवा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आपूर्ति के लिए गन्ना पिराई से सृजित शीरा में उत्पादित इथनोल पर लागू नहीं होगा।

इस प्रकार की निकासी के मामले में, यद्यपि इथनोल को शुल्क के भुगतान के बिना निकासी की है, इथनोल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट/पूँजीगत वस्तु/इनपुट सेवा का सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त किया जा सकता है। आगे, जहां पर एक जैसे इनपुट/इनपुट

© The Institute of Chartered Accountants of India

सेवा को इथनोल तथा अन्य शुल्कयोग्य अंतिम उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया है, इथनोल की निकासी पर राशि का क्रेडिट का रिवर्सल अथवा राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

(अधिसूचना संख्या 21/2015CE (NT,) दिनांक 07.10.2015)

7. आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता को किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर (SHEC) के उपयोग की आज्ञा है {सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 की नियम 3(7)(b)में डाला 6वां, 7वां तथा 8वां उपबंध}

01.03.2015से पहले, उत्पादयोग्य वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को सेनवैट क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आगे,31.03.2015 तक करयोग्य सेवा पर शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को सेनवैट क्रेडिट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्पादयोग्य वस्तु अथवा करयोग्य सेवा पर भुगतानयोग्य शिक्षण उपकर के सिवाय किसी अन्य शुल्क के भुगतान के लिए उत्पादयोग्य वस्तु अथवा करयोग्य सेवा पर शिक्षण उपकर के क्रेडिट के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्पादयोग्य अथवा करयोग्य सेवा पर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को उत्पादयोग्य सेवा अथवा करयोग्य सेवा पर भुगतानयोग्य माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर के सिवाय किसी अन्य शुल्क के भुगतान के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

यद्यपि, करयोग्य सेवा पर लगने वाला शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर उपकर का 01.06.2015से प्रभाव नहीं होगा। एक आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता को किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर के प्रयोग की आज्ञा दी है :

(i) 01.06.2015को अथवा उसके पश्चात् आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता के परिसर में प्राप्त इनपुट/पूँजी वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर;

(ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 में आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता की परिसर में प्राप्त पूँजीगत वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर का शेष 50% का क्रेडिट;

(iii) 01.06.2015 को अथवा उसके पश्चात् आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा प्राप्त इंवॉयस, बिल, चालान अथवा रेल द्वारा वस्तुओं का परिवहन के लिए सेवा कर प्रमाणपत्र के संबंध में इनपुट सेवा कर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर का क्रेडिट।

(अधिसूचना संख्या 22/2015CE (NT),दिनांक 29.10.2015)

8. सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 की नियम,6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि को विमुक्त सेवा का मूल्य का 6% से 7% तक बढ़ाया

पहले, एक मामले में जहां पर एक आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता कर से प्रभारयोग्य आउटपुट सेवा तथा विमुक्त सेवा प्रदान करता है, उसके पास पृथक् खाता को रखे बिना किसी

© The Institute of Chartered Accountants of India

इनपुट/इनपुट सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त सेनवैट को प्राप्त करने का विकल्प है बशर्ते उसमें विमुक्त सेवा का मूल्य का 6% का बराबर राशि का भुगतान किया है। (सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 6(3)(i))

01.06.2015के प्रभाव से, सेवा कर की दर में 12% से 14%वृद्धि के कारण, उपर्युक्त दर को 6% से बढाकर 7% कर दिया। आगे, यदि करयोग्य सेवा का मूल्य का किसी भाग को इस शर्त पर विमुक्त कर दिया है कि इस प्रकार की करयोग्य सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवा का सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जायेगा, नियम 6(3)(i) में निर्दिष्ट राशि को इस प्रकार विमुक्त मूल्य का 7% तक बढ़ाया।

(अधिसूचना संख्या **14/2015CE (NT)**, दिनांक **19.05.2015**)

भाग – II : प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न

आवासीय स्थिति तथा कुल आय का स्कोप

1. कारण सहित वर्णित करें क्या निम्न व्यवहार कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तकर्ता के हाथों में भारत में आयकर लगेगा।

(i) निवासी करनिर्धारी द्वारा प्राप्त ₹ 15,000 का डाक कार्यालय बचत बैंक ब्याज।

(ii) कनाडा का अधिवक्ता जिसने मद्रास उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत यात्रा की को मद्रास में ₹ 5,00,000 का विधि व्यय का भुगतान किया।

(iii) एक निवासी श्री हरीश द्वारा एक अनिवासी श्री राजेश को फ्रांस में चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया।

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा अमेरिका में प्रदान सेवा के लिए भारत के नागरिक श्री अवी को ₹ 11 लाख के वेतन का भुगतान किया।

आय जो कुल आय का भाग नहीं बनता

2. एकल मालिक श्री Xकी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक इकाई तथा एक अन्य इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में है। गत वर्ष 2015-16 के लिए एकल स्वामित्व का निम्न विवरण है :

विवरण	श्री X (₹)	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इकाई (₹)
कुल बिक्री	9,00,00,000	3,00,00,000
निर्यात बिक्री	4,80,00,000	2,20,00,000
शुद्ध लाभ	1,20,00,000	30,00,000

निम्न स्थिति में कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के अन्तर्गत पात्र कटौती की गणना करें

(i) यदि दोनों इकाई को 18-08-2009 को स्थापित किया तथा निर्माण आरंभ किया।

(ii) यदि दोनों इकाइयों को 23-09-2013 को स्थापित किया तथा निर्माण आरंभ किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वेतन से आय

3. श्री श्याम Xerox Ltd. में वित्त कार्यपालक है। निम्न विवरण से, कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कुल आय की गणना करें :

मूल वेतन	₹ 30,000 प्रति माह
महंगाई भत्ता	मूल वेतन का 30%
परिवहन भत्ता (निवास तथा कार्यालय के मध्य यात्रा के लिए)	₹ 1,800 प्रति माह
मोटर कार चालान तथा अनुरक्षण प्रभार नियोक्ता द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान	₹ 40,000
(मोटर का स्वामित्व श्याम के पास है। कार का चालन भी श्याम करता है। इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.60 लीटर से कम है। मोटर कार को कर्मचारी द्वारा दोनों कार्यालय तथा व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है)	
सरकारी कार्य पर यात्रा के समय होटल में आवास पर व्यय का निर्वाहन नियोक्ता द्वारा किया जाता है	₹ 30,000
कार्यालय समय के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान भोजन	
नियोक्ता को लागत	₹ 12,000
1.10.2015 से श्याम के निवास में नियोक्ता द्वारा रखा कम्प्यूटर (लागत ₹ 50,000)	
बचत बैंक खाता पर ब्याज	₹ 12,000
श्याम ने निम्न भुगतान किया	
मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठयक्रम का अध्ययन करने के लिए 2 बच्चों की ट्यूशन शुल्क	₹ 1,60,000
चिकित्सा बीमा प्रीमियम : नकद भुगतान	₹ 5,000
चैक द्वारा भुगतान	₹ 22,000
रोकथाम स्वास्थ्य जांच पर व्यय	₹ 7,000

गृह सम्पत्ति से आय

4. गरिमा के चेन्नई में दो फ्लैट हैं दोनों स्वयं गृहण में हैं। इनके विवरण को नीचे दिया है :

	₹ में मूल्य	
विवरण	**अडयार में फ्लैट**	**मयलापोर में फ्लैट**
प्रतिवर्ष पालिका मूल्यांकन	1,20,000	1,15,000
प्रतिवर्ष उचित किराया	1,40,000	1,60,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रतिवर्ष मानक किराया	1,20,000	1,70,000
निर्माण की पूर्णता की तिथि	1-01-2009	21-05-2003
वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य पालिका कर (केवल मयलापोर के फ्लैट के लिए भुगतान)	10%	12%
चालू वर्ष के दौरान सम्पत्ति की मरम्मत के लिए उधार लिये धन पर ब्याज	—	52,000

कर–निर्धारण वर्ष 2016-17के लिए गृह सम्पत्ति से, गरिमा की आय की गणना करें। साथ में सुझाव देवें कि गरिमा द्वारा स्वयं गृहण के रूप में निर्धारण के लिए किस फ्लैट को चुनना चाहिए ताकि उसके करदायित्व को न्यूनतम रखा जाये।

व्यापार अथवा पेशे का लाभ तथा अर्जन

5. आयकर अधिनियम, 1961 जैसा वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा संशोधित किया के प्रावधान के आधार पर निम्न वक्तव्य की सही होने अथवा अन्यथा की चर्चा करें।

(i) जहां पर गत वर्ष 2015-16 के दौरान अधिगृहीत नया प्लांट तथा मशीनरी को इस वर्ष में 180दिवस से कम के लिए प्रयुक्त किया, कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 32(1)(iia) के अन्तर्गत स्वीकार्य अतिरिक्त ह्रास को 10% (20% का 50%)तक सीमित किया। शेष अतिरिक्त ह्रास का भविष्य में दावा नहीं किया जा सकता।

(ii) बिहार राज्य में अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र वैशाली में स्थापित एक निर्माणी कम्पनी ने गत वर्ष 2015-16 में ₹ 30 करोड़ के लिए नयी प्लांट तथा मशीनरी को अधिगृहीत तथा स्थापित किया। कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए यह या तो धारा 32AC अथवा धारा 32AD के अन्तर्गत कटौती के लिए हकदार है दोनों के लिए नहीं।

(iii) तिथि जिस पर सम्पत्ति को पहली बार प्रयुक्त किया तक की अवधि के लिए एक सम्पत्ति के निर्धारण के लिए ऋण पर ली गयी पूँजी के संबंध में भुगतान ब्याज का पूँजीकरण नहीं करना चाहिए। यदि सम्पत्ति का अधिग्रहण विद्यमान व्यापार अथवा पेशे के विस्तार के लिए नहीं है।

पूँजीगत लाभ तथा अन्य स्रोत से आय

6. श्री सितेश ने ₹ 30,00,000 के प्रतिफल के लिए 21 दिसम्बर 2015 को अपने मित्र श्री गौतम को एक घर बेचा। उप–पंजीयक ने उक्त मूल्य के लिए प्रपत्र को पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसके अनुसार ₹ 52,00,000 पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना जो सरकारी मार्गदर्शिका मूल्य था। श्री सितेश ने राजस्व मंडल अधिकारी को अपील की जिसने ₹ 35,00,000 के रूप में घर का मूल्य निश्चित किया (₹ 25,00,000 जमीन के लिए तथा शेष भवन हिस्सा के लिए) उक्त निर्धारित मूल्य को स्वीकृत करते हुए अंतरीय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया। कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्री सितेश तथा श्री गौतम के हाथों में क्या कर प्रभाव है? श्री सितेश ने 21 मार्च, 2011 को जमीन का क्रय ₹ 6,19,000 में किया तथा 2 जनवरी, 2014 को ₹ 12,50,000 में गृह का निर्माण किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का 711 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 939 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 1081 लिया जा सकता है।

करनिर्धारी की कुल आय में सम्मिलित अन्य व्यक्ति की आय

7. श्री चौहान ने ₹ 10,00,000 की पूँजी के साथ 01.04.2014 को एकल व्यवसाय जारी किया। उसे वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 4,00,000 की हानि हुई। हानि को पूरा करने में अपने पति की सहायता के लिए श्रीमती अर्पणा जो एक चार्टर्ड एकाउटैण्ट ने 01.04.2015 को ₹ 4,00,000 का उपहार दिया जिसे श्री चौहान द्वारा व्यवसाय में तुरंत निवेशित कर दिया। उसने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 5,00,000 का लाभ अर्जित किया। करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्रीमती अर्पणा के हाथों में किस राशि को क्लब किया जायेगा। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्रीमती अर्पणा ने उक्त राशि को ऋण के रूप में दिया।

हानि का सेट ऑफ तथा आगे ले जाना

8. एक निवासी व्यक्ति श्री जैन ने गत वर्ष 2015-16के लिए अपनी आय का विवरण तथा अन्य विवरण दिया

		₹
(1)	वेतन से आय	70,000
(2)	गृह सम्पत्ति से हानि (गणना की)	25,000
(3)	व्यापारिक हानि	40,000
(4)	जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	82,700
(5)	दौड़ के घोड़ों के अनुरक्षण पर हानि	21,000
(6)	जुआ से हानि	12,100

करनिर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित गैरअवशोषित ह्रास तथा आगे लायी हानि का अन्य विवरण निम्न है :

		₹
(1)	गैर अवशोधित ह्रास	20,000
(2)	सट्टा व्यापार से हानि	22,000
(3)	अल्पकालीन पूँजी हानि	9,700

करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्री जैन की कुल सकल आय तथा हानि की राशि यदि कोई है तो जिसे आगे ले जाया जा सकता है अथवा नहीं की गणना करें।

सकल कुल आय से कटौती

9. Gamma Ltd. के साथ कार्यरत श्री हरीहरण ने गत वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश तथा भुगतान का निम्न विवरण दिया :

— सार्वजनिक भविष्य निधि में ₹ 1,60,000 का जमा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

— अपने जीवन का बीमा के लिए की गयी पॉलिसी पर ₹ 25,000 का जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमित राशि – ₹ 1,00,000)

— बैंक में 5 वर्ष के लिए जमा राशि ₹ 50,000

— ₹ 2,10,000 जो वेतन का 15% है को केंद्रीय सरकार का नई पेंशन योजना में अंशदान किया।

— अपने स्वास्थ्य के बीमा के लिए ₹ 22,000 का तथा अपने पिता जो उस पर निर्भर नहीं के स्वास्थ्य बीमा पर ₹ 26,000 का मेडीक्लेम प्रीमियम का भुगतान किया।

— उसने अपनी पत्नी के रोकथाम स्वास्थ्य जांच पर ₹ 5,000 तथा अपने पिता की रोकथाम जांच पर ₹ 5,000 का व्यय किया।

— उसने अपनी माता जो तीव्र अपंगता वाला व्यक्ति का चिकित्सा उपचार के लिए ₹ 50,000 का व्यय किया।

(i) करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अध्याय VI-A के अन्तर्गत श्री हरीहरण को प्राप्त कटौती की गणना करें।

(ii) क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्री हरीहरण ने केंद्रीय सरकार को नयी पेंशन योजना (NPS) की तरफ ₹ 1,40,000 (अपने वेतन का 10%) का अंशदान किया।

एक व्यक्ति की कुल आय तथा करदायित्व की गणना

10. डा, आशीष पुरी एकक्लीनिक को चला रहे हैं। उसके 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय को नीचे दिया :

व्यय	₹	आय	₹
कर्मचारी वेतन	4,30,000	फीस प्राप्ति	12,63,600
उपभोग योग्य	10,750	भारतीय कम्पनियों से लाभांश	15,000
औषधि उपभोग	3,69,800	लॉटरी से जीत द्वारा (₹ 12,000 का स्रोत कर कटौती से शुद्ध)	28,000
ह्रास	91,000	आयकर वापसी	2,750
प्रशासकीय व्यय	1,51,000		
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में दान	5,000		
व्यय के ऊपर आय का आधिक्य	2,51,800		
योग	**13,09,350**	**योग**	**13,09,350**

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) सभी सम्पत्ति के संबंध में ह्रास को आयकर नियम,1962 के अनुसार ₹ 50,000 पर ज्ञात की।

(ii) उपभोग दवाई में उसके परिवार के उपयोग के लिए ₹ 25,000 की दवाई का उपभोग किया। (लागत पर)

(iii) फीस प्राप्ति में चिकित्सा परीक्षण उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के लिए ₹ 20,000 का मानदेय सम्मिलित है।

(iv) उसने कृषि आय के कारण ₹ 2,75,000को प्राप्त किया जिसे उपर्युक्त आय तथा व्यय खाता में सम्मिलित नहीं किया।

(v) उसने एक जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्कता पर ₹ 62,000को प्राप्त किया जिसे आय तथा व्यय खाता में सम्मिलित नहीं किया।

(vi) उसने सीटी केयर सेंटर से वेतन के रूप में ₹ 8,000 प्राप्त किया। इसे आय तथा व्यय खाता में ''शुल्क प्राप्ति क्रेडिट'' में सम्मिलित नहीं किया।

(vii) उसने ₹ 12,00,000 (स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार मूल्यांकन ₹ 14,00,000) में जमीन का विक्रय किया। मई 1999 में उसने ₹ 4,00,000 में जमीन को अधिगृहीत किया।

(viii) उसने अपने जीवन पर एक अन्य जीवन बीमा पॉलिसी जिसे 1.04.2013 को ली, पर ₹ 45,000 के प्रीमियम का भुगतान किया। (बीमित राशि ₹ 5,00,000)

(ix) उसने लॉटरी टिकट के क्रय के लिए ₹ 4,000 का भुगतान किया जिसे आय तथा व्यय खाता को डेबिट नहीं किया।

(x) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड को दान एक रेखांकित चैक के जरिये किया।

(xi) उसने सार्वजनिक भविष्य निधि में ₹ 1,50,000 जमा किये।

उपर्युक्त से, करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए डॉ॰ आशीष पुरी की आय तथा भुगतान योग्य कर की गणना करें।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक वित्तीय वर्ष 1999-00 – 389; वित्तीय वर्ष 2015-16 – 1081

अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान

11. आयकर अधिनियम,1961 जैसा वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया है के प्रावधान पर आधारित नीचे दिये गये मामले में धारा 194A के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती की प्रभाव का परीक्षण करें।

(i) 1.10.2015 को श्री मोहित ने Theta Co-operative Bank के साथ 8% प्रतिवर्ष की दर से ₹ 12 लाख का छह माह का स्थायी जमा किया। 31.3.2016 को स्थायी जमा परिपक्व हो गया।

(ii) श्री हरीश ने एक बैंक Omega Bank जिसने CBS को अपनाया की निम्न शाखा के साथ 10%प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वाला स्थायी जमा किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

शाखा	राशि (₹)	जमा की तिथि	परिपक्वता की तिथि
अदयार	60,000	01.06.2015	31.03.2016
अन्ना नगर	80,000	01.07.2015	31.03.2016
ननगवक्कम	75,000	01.08.2015	31.03.2016

(iii) 1.4.2015को श्रीमती मीना ने गामा बैंक के साथ 10% प्रतिवर्ष की दर से ₹ 20,000 प्रति माह का 1 वर्ष का आवृत्ति जमा को आरंभ किया।

आय की विवरणी को फाइल करने का प्रावधान

12. संक्षिप्त कारण सहित स्पष्ट करें क्या निम्न मामले में आयकर अधिनियम,1961 की धारा 139(5) के अन्तर्गत आय की विवरणी को पुनरीक्षित किया जा सकता है।

(i) धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से फाइल विवरणी (Belated return)

(ii) धारा 139(5) के अन्तर्गत पहले से एक बार पुनरीक्षित विवरणी .

(iii) धारा 139(3) के अन्तर्गत फाइल हानि की विवरणी

करनिर्धारण मूल्य तथा उस पर भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क की गणना

13. Super Lasting Ltd. ने अपने द्वारा निर्मित एक मशीन को ₹ 10,00,000 (कर तथा शुल्क रहित) की कीमत पर Goel Steel Ltd. (GSL) को बेचा। आगे, Goel Steel Ltd. (GSL) से निम्न राशि को भी वसूला :

विवरण	₹
बाहरी हेंडलिंग प्रभार (कारखाना से GSLका परिसर तक)	5,000
संरक्षित पैकिंग प्रभार	12,500
GSLकी परिसर पर मशीन की स्थापना तथा इरेक्शन से संबंधित व्यय (मशीन को स्थायी रूप से जमीन पर जोड़)	26,000
टेस्टिंग तथा निरीक्षण प्रभार (Super Lasting Ltd द्वारा की गयी टेस्टिंग)	40,000
देरी भुगतान प्रभार	3,000
धर्मादा (इवांयस में प्रभारित तथा GSL से वसूला)	10,000

उपर्युक्त सूचना से मशीन का करनिर्धारणयोग्य मूल्य तथा भुगतानयोग्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि की गणना करें यह मानकर कि मशीनरी को कारखाना गेट पर बेचा है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

सीमा शुल्क की गणना

14. ABC Ltd. ने करयोग्य सेवा को प्रदान करने के लिए एक मशीनरी का आयात किया। कस्टम कानून के अन्तर्गत आयातित मशीनरी का करनिर्धारण योग्य मूल्य ₹ 2,00,000है। मूल सीमा शुल्क 10%की दर से भुगतानयोग्य है। यदि मशीनरी को भारत में निर्मित किया, उस मशीनरी पर 12.5%की दर से उत्पाद शुल्क लगता। सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर लागू है। उक्त मशीनरी पर 4% की दर से विशेष CVD भुगतानयोग्य है। आपको करना है :

(i) कुल भुगतानयोग्य सीमा शुल्क की गणना करें।

(ii) परीक्षण करें क्या ABC Ltd. इस प्रकार भुगतान सीमा शुल्क का सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त कर सकता है? यदि हाँ तो, कितना ?

केंद्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अन्तर्राज्य बिक्री

15. परीक्षण करें क्या निम्न राशि केंद्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्री है :

(i) चेन्नई का X वायु द्वारा वस्तु को लंदन में अपनी शाखा में वस्तु भेजता है। बाद में, वह भारत की कस्टम सीमा से वस्तु की उक्त वस्तु को पार करने के पश्चात् एक क्रेता को इस प्रकार की वस्तु का शीर्ष के प्रपत्र को अंतरित करता है।

(ii) मुम्बई का M दिल्ली आता है, N से कुछ रसायन का क्रय करता है तथा मुंबई में अपने नाम में अंतरित करता है।

(iii) एक लंदन आधारित उद्यमी गुजरात के पवन के साथ वस्तु की बिक्री का संविदा करता है तथा भारत में वस्तु को भेजता है।

वैट दायित्व

16. श्री नवीन बिहार में एक पंजीकृत डीलर है। वह अपने राज्य तथा अन्य राज्य में डीलर्स को उत्पाद की बिक्री करता है। श्री नवीन द्वारा निम्न अतिरिक्त सूचना को प्रदान की गयी है :

(i) बिहार में ₹ 80,000 (12.5% की दर से वैट को छोड़कर) का कच्ची सामग्री का क्रय

(ii) कच्ची सामग्री की समुंद्री क्रय ₹ 1,85,000 की है (10% की दर से सीमा शुल्क को छोड़कर)

(iii) पश्चिम बंगाल से कच्ची सामग्री का ₹ 50,000 (2% की दर से केंद्रीय बिक्री कर को छोड़कर)

(iv) परिवहन प्रभार, मजदूरी तथा अन्य निर्माणी व्यय ₹ 3,50,000 है।

(v) बैंक ऋण पर ₹ 55,000 का ऋण का भुगतान किया। ऋण को एक फैक्टरी का भवन के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए लिया।

श्री नवीन ने सभी निर्मित वस्तु को उत्पादन की लागत का 10% का लाभ मार्जिन का जोड़ने के पश्चात् बेचा। बिक्री पर वैट दर 12.5%है। आपको शुद्ध वैट दायित्व तथा कुल

© The Institute of Chartered Accountants of India

बिक्री मूल्य (इंवॉयस मूल्य) की गणना करनी है। दोनों कच्ची सामग्री तथा निर्मित वस्तु की आरंभिक अथवा अंतिम इंवेंटरी नहीं है।

सेवा कर की मूल अवधारणा

17. सेवा कर जैसा वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधत किया है, का प्रावधान के संदर्भ में निम्न स्वतंत्र मामलों में सेवा कर प्रभाव की संक्षेप में परीक्षण करें।

(a) AB Pvt. Ltd. जॉब वर्क आधार पर मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक शराब का निर्माण करती है।

(b) Splash and Splutter एक वाटर पार्क हैं। यह प्रवेश शुल्क के रूप में ₹ 500 प्रति व्यक्ति को वसूल करती है।

कराधान का बिंदु

18. Softec Industries Ltd. (SIL) एक भारतीय कम्पनी है। इसने 15.07.2015 को UK आधारित Mitchell Ltd. से प्रबन्धकीय परामर्श सेवा को प्राप्त किया। यह मानकर कि Mitchell Ltd. तथा SILसहयोगी उद्यम हैं, निम्न का विवरण का उपयोग कर कराधान के बिंदु का निर्धारण करें।

विवरण	तिथि
Mitchell Ltd. ने SILपर £ 58,000 का इंवॉयस उगाहा	27.07.2015
SIL ने अपनी लेखा पुस्तकों को डेबिट किया	05.08.2015
SIL द्वारा भुगतान की तिथि	24.09.2015

करयोग्य सेवा का मूल्यांकन

19. कम्पनी के रूप में पंजीकृत BIE Academy कक्षा XI तथा XII के छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग श्रेणी को प्रदान करने में लिप्त है। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इसने सेवा कर के रूप में ₹ 15.6 लाख की राशि का भुगतान किया जिसमें से ₹ 7,00,000 का भुगतान सेनवैट क्रेडिट का उपयोग तथा शेष का भुगतान क्रमशः तिथि पर नकद भुगतान किया। जुलाई 2015 के माह से संबंधित विवरण निम्न है :

विवरण	₹
100 छात्रों का बैच का फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की (इसी प्रकार सेवा का मूल्य ₹ 52,000 है)	
अगस्त 2015 में होने वाले ऑनलाइन कोचिंग सत्र के लिए छात्रों से संगृहीत अग्रिम शुल्क	12,00,000
31.07.2015 को ABC School से नवम्बर 2015 में उनके छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन ऑनलाइन कक्षा के लिए प्राप्त अग्रिम। यद्यपि कुछ आंतरिक असहमति के कारण, ABC School ने 12.08.2015 को समझौता निरस्त कर दिया। BIE Academy द्वारा प्राप्त अग्रिम को जब्त कर लिया।	5,92,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

जुलाई, 2015 के माह के लिए BIE Academy की सेवा करदायित्व का निर्धारण करें।

नोट : जहां पर लागू है, सेवा कर को पृथक् रूप से वसूल नहीं किया।

सेवा कर के अन्तर्गत विमुक्ति

20. अगस्त 2015 के माह में प्रदान निम्न स्वतंत्र सेवा का परीक्षण करें तथा इन मामलों में से प्रत्येक के लिए भुगतानयोग्य सेवा कर की राशि का निर्धारण करें।

क्रम संख्या	विवरण	(₹)
1.	विपणनयोग्यता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चमक को प्रदान करने के लिए सेब पर मोम चढ़ाने के जरिये सेवा	1,00,000
2.	रेलवे संग्रहालय में प्रवेश	50,000
3.	XYZ Ltd. द्वारा स्वामित्व एक एम्बुलेंस में ABC Nursing Home तथा Bheem Multispecialty Hospital को रोगियों का परिवहन	1,20,000
4.	टेली पुरस्कार समारोह में प्रवेश (प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य ₹ 510 है)	5,10,000
5.	वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा दुग्ध का परिवहन	1,50,000

नोट : लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति की अनदेखी करें। जहां पर लागू है, सेवा कर को पृथक् रूप से वसूल किया है।

21. एक विख्यात शास्त्रीय नृतक केसर महाराज ने एक ऑडिटॉरियम में एक शास्त्रीय नृत्य समारोह किया। उक्त कार्यक्रम के लिए वसूल प्रतिफल ₹ 98,500 है। क्या केसर महाराज उक्त समारोह के लिए प्राप्त प्रतिफल पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी है यदि इस प्रकार का समारोह किसी उत्पाद/सेवा को बढावा देने के लिए नहीं है? यदि हाँ, उसके सेवा कर दायित्व का निर्धारण करें। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि :

(i) उक्त समारोह के लिए केसर महाराज द्वारा वसूल प्रतिफल ₹ 1,20,000 है।

(ii) केसर महाराज एक खाद्य उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर हैं तथा उपर्युक्त कार्यक्रम इस प्रकार का खाद्य उत्पाद का बढ़ावा के लिए है।

(iii) केसर महाराज ने समकालीन बोलीवुड स्टाइल नृत्य कार्यक्रम को देते हैं।

नोट : लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति की अनदेखी करें। जहां पर लागू है, सेवा कर को पृथक् रूप से वसूला है।

विकल्प दर पर सेवा कर का भुगतान

22. श्री पारितोष एक वायु यात्रा एजेंट है। वह अपने द्वारा प्रदान सेवा का मूल्य पर 14% की दर से सेवा कर को वसूल करने में कठिनाई का अनुभव करता है। क्या श्री पारितोष किसी वैकल्पिक दर पर सेवा कर का भुगतान कर सकता है ? स्पष्ट करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्या वैकल्पिक दर पर सेवा कर के भुगतान का विकल्प किसी अन्य सेवा के संबंध में उपलब्ध है? यदि हाँ, इस प्रकार की सेवा का वर्णन करें।

सेनवैट क्रेडिट

23. इनपुट पर भुगतान उत्पाद शुल्क का सेनवैट क्रेडिट को निर्माता अथवा आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा तब ही लिया जा सकता है जब उसे फैक्टरी में अथवा आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता की परिसर में प्राप्त किया जाता है।

वक्तव्य की वैधता का परीक्षण करें।

24. LT Pvt. Ltd. रबर चप्पल का निर्माण करती है। इसके द्वारा प्राप्त वस्तु/सेवा के संबंध में LT Pvt. Ltd. को प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की गणना करें।

क्र॰सं॰	विवरण	भुगतान उत्पाद शुल्क (₹)	भुगतान सेवा कर (₹)
(i)	रबर सोल के निर्माण के लिए मशीन	10,00,000	
(ii)	चप्पल के निर्माण के लिए रबर शीट	5,00,000	
(iii)	गोंद	50,000	
(iv)	कर्मचारियों के लिए क्लब सदस्यता शुल्क		1,00,000
(v)	टेलीविजन पर चप्पल का विज्ञापन के लिए उत्पन्न व्यय		5,00,000

नोट : LT Pvt. Ltd. अधिसूचना संख्या 8/2003CE,दिनांक 01.03.2003 के अन्तर्गत SSI विमुक्ति के लिए हकदार नहीं है।

सुझाये उत्तर/संकेत

1.

	करयोग्य/करयोग्य नहीं	कर को दायी राशि (₹)	कारण
(i)	आंशिक रूप से करयोग्य	1,500	डाक कार्यालय बचत बैंक खाता पर ब्याज एक व्यक्ति खाता के मामले में ₹ 3,500 की हद तक धारा 10(15)(f) के अन्तर्गत विमुक्त होगी। अतएव ₹ 11,500 ''अन्य स्रोत से आय'' शीर्ष के अन्तर्गत करयोग्य होगा तथा सकल कुल आय का भाग बनेगा। यद्यपि ₹ 10,000, की सकल कुल आय से धारा 80TTA के अन्तर्गत कटौती के रूप में आज्ञा होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	करयोग्य / करयोग्य नहीं	कर को दायी राशि (₹)	कारण
(ii)	करयोग्य	5,00,000	अनिवासी के मामले में, कोई आय जो भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न होती है अथवा जिसे भारत में प्राप्त किया है अथवा भारत में प्राप्त किया जाये भारत में करयोग्य है। इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय में एक मुकद्मे का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में यात्रा करने वाला कनाडा का अनिवासी अधिवकता को भुगतान कानूनी प्रभार भारत में करयोग्य होगा।
(iii)	करयोग्य नहीं	-	फ्रांस में चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में अनिवासी को निवासी द्वारा भुगतान रॉयल्टी अनिवासी के हाथों में भुगतानयोग्य होगा बशर्ते उसे भारत में प्राप्त नहीं किया। इसे धारा 9(1)(vi)(b) में वर्णित माना उपार्जन का अपवाद के रूप में प्रदान किया।
(iv)	करयोग्य	11,00,000	धारा 9(1)(iii)के अनुसार सरकार द्वारा भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए भारत के नागरिक को भुगतानयोग्य वेतन भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न माना जायेगा। इसलिए, केंद्रीय सरकार द्वारा श्री अवी को अमेरिका में प्रदान सेवा के लिए भुगतान वेतन भारत में उत्पन्न अथवा उपार्जित माना जायेगा क्योंकि वह भारत का नागरिक है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती की गणना

धारा 10AAके अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित एक इकाई जो 01.04.2006 को अथवा इसके पश्चात् आरंभ करनिर्धारण वर्ष से प्रासंगिक गत वर्ष के दौरान किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन को आरंभ करती है अथवा सेवा प्रदान करती है, से श्री X की कुल आय की गणना में गत वर्ष जिसमें इकाई इस प्रकार की वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन आरंभ करती है अथवा सेवा को प्रदान करती है जैसा मामला है से संबंधित करनिर्धारण वर्ष से आरंभ लगातार पांच करनिर्धारण वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार की वस्तु अथवा सेवा के निर्यात से प्राप्त लाभ तथा अर्जन की 100% की कटौती तथा आगे के पांच करनिर्धारण वर्षों के लिए इस प्रकार का लाभ का 50% की कटौती की धारा 10AA में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करने के तहत स्वीकृत होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 10AAके अन्तर्गत पात्र कटौती की गणना (नीचे कार्यकारी टिप्पणी देखें)

(i) **यदि SEZ में इकाई को 18-08-2009 से स्थापित किया तथा निर्माण किया**

क्योंकि करनिर्धारण वर्ष 2016-17 गत वर्ष 2009-10 जिसमें SEZ इकाई ने वस्तु का निर्माण आरंभ किया से प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष 2010-11से 7वां करनिर्धारण वर्ष है, यह इस प्रकार की वस्तु का निर्यात से प्राप्त लाभ का 50%की कटौती की आज्ञा होगी यह मानकर कि इसने धारा 10AAमें निर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों को पूरा किया।

$$= \text{SEZ में इकाई का लाभ} \times \frac{\text{SEZ में इकाई का निर्यात} \times 50\% \text{ टर्नओवर}}{\text{SEZ में इकाई का कुल टर्नओवर}}$$

$$= 90 \text{ लाख} \times \frac{260 \text{ लाख}}{600 \text{ लाख}} = 50\% = ₹ 19.50 \text{ लाख}$$

(ii) **यदि SEZ में इकाई को 23-09-2013 से स्थापित किया तथा निर्माण आरंभ किया :**

क्योंकि करनिर्धारण वर्ष 2016-17 गत वर्ष 2013-14 जिसमें SEZ ने वस्तु का निर्माण आरंभ किया से प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष 2014-15 से तीसरा करनिर्धारण वर्ष है यह वस्तु के निर्यात से प्राप्त लाभ का 100% की कटौती के लिए पात्र होगी यह मानकर कि धारा 10AA में सभी अन्य शर्तों को पूरा किया।

$$= \text{SEZ में इकाई का लाभ} \times \frac{\text{SEZ में इकाई का निर्यात} \times 100\% \text{ टर्नओवर}}{\text{SEZ में इकाई का कुल टर्नओवर}}$$

$$= 90 \text{ लाख} \times \frac{260 \text{ लाख}}{600 \text{ लाख}} = 100\% = ₹ 39 \text{ लाख}$$

दोनों स्थिति में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित यूनिट निर्यात लाभ के संबंध में धारा 10AAके अन्तर्गत कटौती के लाभ के लिए पात्र नहीं है।

कार्यकारी नोट :

SEZ में कुल बिक्री, निर्यात बिक्री तथा शुद्ध लाभ की गणना

विवरण	श्री X (₹)	DTAमें इकाई (₹)	SEZ में इकाई (₹)
कुल बिक्री	9,00,00,000	3,00,00,000	6,00,00,000
निर्यात बिक्री	4,80,00,000	2,20,00,000	2,60,00,000
शुद्ध लाभ	1,20,00,000	30,00,000	90,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. कर–निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्री श्याम की करयोग्य आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन से आय		
मूल वेतन (₹ 30,000 × 12)		3,60,000
महंगाई भत्ता (30%की दर से)		1,08,000
परिवहन भत्ता (₹ 1800 × 12)	21,600	
घटायें : धारा 10(14)के अन्तर्गत विमुक्ति (1,600 प्रतिमाह की दर से नियम 2 BB के साथ पढ़ा जाये)	19,200	2,400
नियोक्ता द्वारा वहन मोटर कार अनुरक्षण (₹ 40,000 – ₹ 21,600 (अर्थात् ₹ 1,800 × 12)		18,400
अधिकारिक कार्य के समय निवास पर व्यय एक अनुलाभ नहीं है तथा कर से वसूलीयोग्य नहीं है।		Nil
कार्यकारी घंटों के दौरान प्रदान लंच का मूल्य (नियम 3(7)(iii)के अनुसार कर से वसूलीयोग्य नहीं है – कार्यकारी घंटों के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान निःशुल्क भोजन को अनुलाभ नहीं माना जाता बशर्ते उसका मूल्य प्रति भोजन ₹ 50 से अधिक नहीं है।		Nil
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी का निवास में प्रदान कम्प्यूटर – कर से वसूलीयोग्य नहीं (नियम 3(7)(vii))		Nil
अन्य स्रोत से आय		
बचत बैंक खाता पर ब्याज		12,000
सकल वेतन		5,00,800
घटायें : अध्याय VI-Aके अन्तर्गत कटौती		
धारा 80Cके अन्तर्गत		
दो बच्चों के लिए भुगतान टयूशन शुल्क ₹ 1,60,000 (₹ 1,50,000 तक सीमित)		1,50,000
धारा 80D के अन्तर्गत		
नकद के अतिरिक्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की कटौती के रूप में आज्ञा होगी। अतएव, केवल चैक द्वारा भुगतान प्रीमियम कटौतीयोग्य है।	22,000	
रोकथाम स्वास्थ्य जांच पर व्यय ₹ 5,000 तक सीमित (नकद में किया भुगतान भी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है)	5,000	
	27,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

विवरण	₹	₹
सम्पूर्ण सीमा तक सीमित धारा 80TTAके अन्तर्गत बचत बैंक खाता पर ब्याज – ₹ 12,000, ₹ 10,000की सीमा के तहत		25,000 10,000
कुल आय		**3,15,800**

4. इस मामले में, गरिमा का स्वयं ऋण के लिए एक अधिक गृह सम्पत्ति है। धारा 23(4)के अनुसार, गरिमा स्वयं ऋण का लाभ (अर्थात् ''शून्य'' वार्षिक मूल्य का लाभ) अपने विकल्प पर एक गृह सम्पत्ति के संबंध में प्राप्त कर सकती है। अन्य गृह सम्पत्ति को ''माना किराया सम्पत्ति'' के रूप में माना जायेगा जिसके संबंध में अपेक्षित किराया सकल वार्षिक मूल्य होगा। इसलिए गरिमा को स्वयंगृहण के रूप में फ्लैट का निर्णय करते समय सर्वाधिक लाभप्रद विकल्प पर विचार करना चाहिए।

विकल्प 1 (अदयार पर फ्लैट – स्वयंगृहण तथा मयलापोर में फ्लैट – किराया पर माना)

यदि अदयार पर फ्लैट को स्वयंगृहण माना, करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए गृह सम्पत्ति से गरिमा की आय होगी

विवरण	(₹ में) राशि
अदयार में फ्लैट (स्वयं गृहण) {वार्षिक मूल्य शून्य है}	शून्य
मयलापुर में फ्लैट (किराया पर माना) नीचे कार्यकारी नोट देखें	50,340
गृह सम्पत्ति से आय	50,340

विकल्प 2 (अदयार में फ्लैट – किराया में माना तथा मयलापोर में फ्लैट – स्वयंगृहण)

यदि मयलापोर के फ्लैट को स्वयंगृहण के रूप में चुना, करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए गृह सम्पत्ति से गरिमा की आय होगी

विवरण	₹ में राशि
अदयार में फ्लैट (किराया पर माना) नीचे कार्यकारी नोट देखें	84,000
मयलापोर पर फ्लैट (स्वयं गृहण) {वार्षिक मूल्य शून्य है, परन्तु ₹ 30,000 की अधिकतम के तहत ब्याज कटौती उपलब्ध होगी स्वयं गृहण सम्पत्ति की मरम्मत के लिए ऋण धन के मामले में ब्याज कटौती ₹ 30,000 तक सीमित होगी, ऋण की तिथि पर विचार किये बिना}	(30,000)
गृह सम्पत्ति से आय	**54,000**

क्योंकि विकल्प 1 ज्यादा लाभदायक है, गरिमा स्वयं गृहण के रूप में अदयार के फ्लैट को चुनना चाहिए तथा मयलापोर के फ्लैट को किराया पर माना चुनना चाहिए जिस मामले में करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए गृह सम्पत्ति से उसकी आय ₹ 50,340 होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कार्यकारी नोट :

अदयार तथा मयलापोर पर फ्लैट से आय की गणना यह मान कर कि दोनों को किराया पर दिया गया है

विवरण	₹ में राशि	
	अदयार पर फ्लैट	मयलापोर पर फ्लैट
सकल वार्षिक मूल्य		
अपेक्षित किराया गृह सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य		
अपेक्षित किराया = पालिका मूल्य तथा उचित किराया का ऊँचा परन्तु मानक किराया तक सीमित	1,20,000	1,60,000
घटाया : पालिका कर (गत वर्ष के दौरान स्वामी द्वारा भुगतान)	शून्य	13,800
शुद्ध वार्षिक मूल्य	1,20,000	1,46,200
घटायें : धारा 24के अन्तर्गत कटौती		
(a) शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%	36,000	43,860
(b) ऋण पूँजी पर ब्याज (माना किराया सम्पत्ति के मामले में पूर्ण रूप में स्वीकृत)	-	52,000
माना किराया गृह सम्पत्ति से आय	84,000	50,340

5. (i) वक्तव्य सही नहीं है

धारा 32(1)(ii)के तृतीय उपबंध के अनुसार स्थापना तथा अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिवस से कम के लिए अधिगृहीत तथा प्रयुक्त नये प्लांट तथा मशीनरी पर अतिरिक्त ह्रास का 50% जिसकी उस वर्ष में कटौती के रूप में आज्ञा नहीं की एक दम बाद वाले गत वर्ष में आज्ञा होगी।

अतएव, 10% (अर्थात् 50% का 20%) का शेष अतिरिक्त ह्रास का एक दम पहले गत वर्ष अर्थात् गत वर्ष 2016-17 में दावा किया जा सकता है।

(ii) वक्तव्य सही नहीं है

यदि एक कम्पनी द्वारा आंध्र प्रदेश अथवा बिहार अथवा तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल के राज्यों में किसी अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में किसी उपक्रम को स्थापित किया है, यह धारा 32AC तथा 32AD के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र होगी यदि धारा 32AC में निर्दिष्ट तथा धारा 32AD में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

दिये गये मामले में, वैशाली अर्थात् बिहार राज्य में एक अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित एक निर्माणी कम्पनी गत वर्ष 2015-16 में ₹ 30 करोड़ के लिए नयी प्लांट

© The Institute of Chartered Accountants of India

तथा मशीनरी को अधिगृहीत तथा स्थापित करती है। अतएव, यह धारा 32ACके अन्तर्गत (क्योंकि नयी प्लांट तथा मशीनरी में निवेश ₹ 25 करोड़ से अधिक है) तथा धारा 32AD(क्योंकि उपक्रम बिहार राज्य में एक अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र में स्थापित की है) के अन्तर्गत कटौती के लिए हकदार होगा, यह मानकर कि यह इसके अन्तर्गत निर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों को पूरा करती है।

(iii) वक्तव्य सही नहीं है

धारा 36(1)(iii) का उपबंध प्रदान करता है कि सम्पत्ति जिसे पहली बार प्रयुक्त किया की तिथि तक अवधि के लिए एक सम्पत्ति (चाहे लेखा पुस्तकों) में पंजीकृत किया अथवा नहीं के अधिग्रहण के लिए ऋण पर ली पूँजी पर भुगतान ब्याज की कटौती के रूप में आज्ञा नहीं होगी। यह इस पर विचार किये बिना क्या सम्पत्ति का अधिग्रहण विद्यमान व्यापार के रूप में है अथवा नहीं।

इसलिए, तिथि जब तक इस प्रकार की सम्पत्ति का प्रथम बार उपयोग किया था तक की अवधि के लिए एक सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए ऋण पर पूँजी पर भुगतान पूँजी को पूँजीकृत किया जायेगा चाहे यदि अधिग्रहण विद्यमान व्यापार अथवा पेशे के विस्तार के लिए है अथवा नहीं।

6. विक्रेता श्री सितेश के हाथों में

धारा 50C(1) के अनुसार, जहां पर जमीन अथवा भवन अथवा दोनों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त अथवा उत्पन्न प्रतिफल स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारणयोग्य मूल्य से कम है, स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनायी अथवा निर्धारित अथवा निर्धारणयोग्य मूल्य को अंतरण के परिणाम के रूप में प्राप्त अथवा उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जायेगा।

जहां पर करनिर्धारी स्टेम्प मूल्यांकन के विरूद्ध अपील करता है तथा अपीलीय प्राधिकरण (इस मामले में राजस्व मंडल अधिकारी) द्वारा अपील में कम कर दिया जाता है, इस प्रकार के मूल्य को अंतरण के परिणाम के रूप में प्राप्त अथवा उपार्जित प्रतिफल माना जाता है।

दी गयी समस्या में, अंतरण की तिथि से एक दम पहले जमीन को 36 माह से अधिक की अवधि तथा भवन को 36 माह की अवधि से कम के लिए रखा है। इसलिए भवन दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है, जबकि भवन अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति है।

विवरण	₹
जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	
जमीन के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त अथवा उत्पन्न प्रतिफल	25,00,000
घटायें : अधिग्रहण की सूचकांक लागत ₹ 6,19,000 × 1081/711	9,41,124
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ (A)	15,58,876

© The Institute of Chartered Accountants of India

भवन की बिक्री पर अल्पकालीन हानि	
भवन के अंतरण से प्राप्त अथवा उपार्जित प्रतिफल	10,00,000
घटायें : अधिग्रहण की लागत	12,50,000
अल्पकालीन पूँजीगत हानि (B)	(2,50,000)

धारा 70के अनुसार, अल्पकालीन पूँजीगत हानि को दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। इसलिए, शुद्ध करयोग्य दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ ₹ 13,08,876 (अर्थात् ₹ 15,58,876 – ₹ 2,50,000) होगा। यह इस प्रकार की दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरुद्ध गैर समाप्त मूल विमुक्ति सीमा का समायोजन के पश्चात् धारा 112 के अन्तर्गत 20% की दर से करयोग्य होगा।

क्रेता गौतम के हाथों में

धारा 56(2)(vii)के अनुसार, जहां पर एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार किसी असंबंधी से एक प्रतिफल जो ₹ 50,000 से अधिक राशि के द्वारा स्टाम्प मूल्य (अथवा मूल्य जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा कम किया है जैसा इस मामले में है) से कम के लिए अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया है तब इस प्रकार का मूल्य तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का वास्तविक प्रतिफल के मध्य अंतर अन्य स्रोत से आय के रूप में कर से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ₹ 5,00,000 (अर्थात् ₹ 35,00,000 – ₹ 30,00,000) श्री गौतम के हाथों में धारा 56(2)(vii) के अन्तर्गत अन्य स्रोत से आय के रूप में कर से वसूलीयोग्य होगी।

7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1)(iv) व्यक्ति के हाथों में आय की क्लबिंग को प्रदान करता है यदि अर्जित आय व्यक्ति का जीवनसाथी को अलग रहने का समझौता अथवा पर्याप्त प्रतिफल के अतिरिक्त सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति (गृह सम्पत्ति को छोड़कर) से है।

इस मामले में, श्री चौहान ने अपनी पत्नी श्रीमती अपर्णा से 1.4.2015 को ₹ 4,00,000 का उपहार प्राप्त किया जिसने उसे तुरंत व्यापार में निवेशित किया। करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्रीमती अपर्णा के हाथों में क्लब की जाने वाली आय की गणना निम्न है :

विवरण	श्री चौहान का पूँजी अंशदान (₹)	श्रीमती अपर्णा से उपहार से पूँजी अंशदान (₹)	योग (₹)
1.4.2015को पूँजी	6,00,000 (10,00,000 – 4,00,000)	4,00,000	10,00,000
गत वर्ष 2015-16 के लिए लाभ को गत वर्ष अर्थात् 1.4.2015 (3:2) के प्रथम दिवस पर नियोजित पूँजी के आधार पर बंटवारा करता है।	3,00,000 $\left(5,00,000\times\frac{3}{5}\right)$	2,00,000 $\left(5,00,000\times\frac{2}{5}\right)$	5,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्रीमतीअपर्णा के हाथों में क्लब की जाने वाली आय ₹ 2,00,000 है।

इस मामले में, श्रीमती अर्पणा ने ₹ 4,00,000 की उक्त राशि को वास्तविक ऋण के रूप में दिया है, तब क्लबिंग प्रावधान लागू नहीं होंगे।

8. करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए श्री जैन की सकल कुल आय की गणना

विवरण		₹	₹
(i)	वेतन से आय	70,000	
	घटायें : गृह सम्पत्ति से हानि (धारा 71 के अनुसार सेट ऑफ)	25,000	45,000
(ii)	पूँजीगत लाभ		
	जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	82,700	
	घटायें : धारा 71 के अनुसार व्यापारिक हानि का सेट ऑफ	40,000	
		42,700	
	घटायें : आगे लाई गई अल्पकालीन पूँजीगत हानि (अल्पकालीन पूँजीगत हानि को धारा 74(1)के अनुसार दोनों अल्पकालीन पूँजीगत लाभ तथा दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।	9,700	
		33,000	
	घटायें : गैर अवशोषित ह्रास (वेतन को छोड़कर आय का किसी शीर्ष के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है)	20,000	13,000
सकल कुल आय			**58,000**

करनिर्धारण वर्ष 2017-18 तक हानि को आगे ले जाना

	विवरण	₹
(1)	सट्टा व्यापार से हानि (धारा 73के अनुसार आगे ले जाएगा) [सट्टा व्यापार से हानि को केवल अन्य सट्टा व्यापार की आय के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है क्योंकि चालू वर्ष में सट्टा व्यापार से कोई सट्टा आय नहीं है । करनिर्धारण वर्ष 2015-16 से आगे लायी गयी ₹ 22,000 से समस्त हानि को करनिर्धारण वर्ष 2016-17 तक उस वर्ष की सट्टा व्यापार आय के विरुद्ध सेट ऑफ करने के लिए आगे ले जाया जायेगा। यह नोट किया जा	22,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	सकता है कि सट्टा व्यापार हानि को धारा 73(4)के अनुसार चार वर्षों की अधिकतम तक आगे ले जाया जा सकता है अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 2019-20 तक	
(2)	दौड़ के घोड़ों के अनुरक्षण पर हानि (धारा 74Aके अनुसार आगे ले जाया जाएगा) (धारा 74A(3)के अनुसार किसी करनिर्धारण वर्ष में दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि से उत्पन्न हानि को दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आय के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की हानि को चार वित्तीय वर्ष अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 2020-21तक आगे ले जाया जा सकता है।	21,000
(3)	जुआ से हानि को न ही तो सेट आफ किया जा सकता है न ही आगे ले जाया जा सकता है।	

नोट :

(1) धारा 71 आय का किसी अन्य शीर्ष के विरुद्ध अर्जित आय के विरुद्ध एक शीर्ष के अन्तर्गत उत्पन्न हानि को सेट ऑफ करने की अनुमति देता है। इसलिए, गृह सम्पत्ति से हानि को वेतन आय के विरुद्ध सेट आफ किया जा सकता है।

(2) यद्यपि, हानि का अन्त शीर्ष सेट ऑफ पर धारा 71 में समाहित कुछ अपवाद है। व्यापारिक हानि तथा गैर अवशोषित ह्रास को धारा 71(2A) के अनुसार वेतन आय के विरुद्ध सेट आफ नहीं किया जा सकता। यद्यपि, दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरुद्ध व्यापार हानि तथा गैर अवशोषित ह्रास की सेट ऑफ करने पर कोई बाधा नहीं है। अतएव, व्यापार हानि तथा गैर अवशोषित ह्रास को दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ किया है।

9. (i) करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अध्याय VI-Aके अन्तर्गत श्री हरीहरण को उपलब्ध कटौती

धारा	विवरण	₹	₹
80C	सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा ₹ 1,60,000 (₹ 1,50,000 तक सीमित)	1,50,000	
	₹ 25,000 का जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान (कटौती ₹ 20,000 तक सीमित है जो बीमित राशि ₹ 1,00,000 का 20% है क्योंकि पॉलिसी को, 01.04.2012 को लिया।	20,000	
	बैंक के साथ पांच वर्ष अवधि जमा	50,000	
		2,20,000	
	तक सीमित		1,50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

80CCD(1)	केंद्रीय सरकार की नयी पेंशन योजना में अंशदान ₹ 1,60,000(₹ 2,10,000 – ₹ 50,000 जो धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत कटौती है}, वेतन का 10% तक सीमित (₹ 2,10,000 × 10/15] [नोट 1को देखें]		1,40,000
			2,90,000
80CCE	धारा 80C तथा 80CCD(1)के अन्तर्गत योग कटौती परन्तु सीमित		1,50,000
80CCD(1B)	₹ 50,000 केंद्रीय सरकार की नवीन पेंशन योजना को अंशदान के संबंध में कटौती के लिए पात्र होगा।		50,000
80CCD(2)	नवीन पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान वेतन का 10%तक सीमित [नीचे नोट 2 देखें]		1,40,000
80D	(i) (a) स्वयं के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम	22,000	
	(b) पत्नी के लिए ₹ 5,000 का रोकथाम स्वास्थ्य जांच ₹ 3,000 तक सीमित (₹ 25,000 – ₹ 22,000 क्योंकि अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹ 25,000 है।)	3,000 25,000	
	(ii) (a) पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	26,000	
	(b) ₹ 5,000 का रोकथाम स्वास्थ्य जांच ₹ 2,000 तक सीमित (₹ 5,000 – ₹ 3,000) क्योंकि धारा 80D के अन्तर्गत रोकथाम स्वास्थ्य जांच के संबंध में अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹ 5,000 है। ₹ 28,000 की समस्त राशि कटौती के रूप में समस्त राशि स्वीकृत है क्योंकि अधिकतम स्वीकार्य कटौती ₹ 30,000 है जहां पर माता–पिता वरिष्ठ नागरिक हैं।	2,000 28,000	
	(i) तथा (ii) का योग		53,000
80DD	माता जो तीव्र अपंगता की व्यक्ति का चिकित्सा उपचार के संबंध में ₹ 1,25,000 की कटौती की आज्ञा होगी इस तथ्य पर विचार किये बिना कि व्यय की राशि ₹ 50,000 है।		1,25,000
अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती			5,18,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट :

(1) धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत कटौती धारा के अन्तर्गत ₹ 1.50 लाख की सम्पूर्ण सीमा के तहत नहीं है। इसलिए, श्री हरीहरण के लिए पहले नवीन पेंशन योजना के संबंध में धारा 80CCD(1) के अन्तर्गत कटौती का दावा करना लाभकारी है। उसके पश्चात् ₹ 1,60,000 की शेष राशि का वेतन का 10% अर्थात् 1,40,000 की अधिकतम सीमा के तहत धारा 80CCD(1) के अन्तर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है।

(2) अधिसूचित पेंशन योजना में समस्त नियोक्ता अंशदान को सकल कुल आय की गणना करते समय शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत सम्मिलित करना होगा तथा उसके पश्चात् धारा 80CCD(2) के अन्तर्गत वेतन का 10% का अधिकतम तक कटौती की आज्ञा होगी। धारा 80CCD(2) के अन्तर्गत कटौती धारा 80CCE के अन्तर्गत ₹ 1,50,000 की सीमा के तहत नहीं है।

(ii) यदि नवीन पेंशन योजना की तरफ अंशदान ₹ 1,40,000 है, पहले श्री हरीहरण के लिए धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत ₹ 50,000 की कटौती का दावा करना तथा ₹ 90,000 का शेष का धारा 80CCD(1)के अन्दर दावा करना लाभप्रद होगा क्योंकि धारा 80CCD(1B) के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती धारा 80CCE के अन्तर्गत ₹ 1,50,000 की योग सीमा से अधिक है। किसी भी मामले में ₹ 2,40,000 की योग कटौती (अर्थात् धारा 80C के अन्तर्गत ₹ 1,50,000 तथा धारा 80CCD(1) के अन्तर्गत ₹ 90,000) धारा 80CCEके अन्तर्गत ₹ 1,50,000 की सम्पूर्ण सीमा से अधिक नहीं हो सकती। अध्याय VIA के अन्तर्गत कुल कटौती वही रहेगी अर्थात् ₹ 5,18,000

10. करनिर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए डॉ, आशीष पुरी की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना

विवरण	₹
वेतन से आय (वर्किंग नोट –1)	96,000
व्यापार से आय (वर्किंग नोट –2)	2,57,050
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (वर्किंग नोट–3)	2,88,432
अन्य स्त्रोत से आय (वर्किंग नोट–4)	60,000
सकल कुल आय	**7,01,482**
घटायें : अध्याय VI-Aके अन्तर्गत कटौती (वर्किंग नोट–5)	1,55,000
कुल आय	**5,46,482**

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुल आय पर कर (वर्किंग नोट–6)	63,991
जोड़ें : 2% की दर से शिक्षण उपकर तथा 1%की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर	1,920
कुल कर दायित्व	65,911
घटायें : स्त्रोत पर कर कटौती	12,000
भुगतान योग्य कर	**53,911**
राउंड ऑफ	**53,910**

कार्यात्मक टिप्पणी :

1. **वेतन आय की गणना**

विवरण	₹
सकल आय (₹ 8,000 × 12)	96,000
घटायें : धारा 16के अन्तर्गत कटौती	शून्य
शुद्ध वेतन	96,000

2. **शीर्ष 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत आय की गणना**

विवरण	₹	₹
आय तथा व्यय खाता के अनुसार शुद्ध आय		2,51,800
जोड़ें : अस्वीकृत व्यय		
ह्रास (₹ 91,000 – ₹ 50,000)	41,000	
स्वंय उपयोग के लिए औषधि की लागत	25,000	
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को दान	5,000	71,000
		3,22,800
घटायें : भारतीय कम्पनियों से लाभांश	15,000	
आयकर वापसी	2,750	
लॉटरी से जीत	28,000	
उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के लिए मानदेय	20,000	65,750
		2,57,050

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. **पूँजीगत लाभ की गणना**

विवरण	₹	₹
बिक्री प्रतिफल	12,00,000	
स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार मूल्यांकन (मूल्य को वास्तविक बिक्री प्रतिफल अथवा धारा 50C के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी उद्देश्य के लिए अपनाया मूल्यांकन में अधिक को लेना है)	14,00,000	
पूँजीगत लाभ के उद्देश्य के लिए प्रतिफल		14,00,000
घटायें : अधिग्रहण की लागत = ₹ 4,00,000 × 1081/389		11,11,568
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ		**2,88,432**

4. **'अन्य स्त्रोत से आय' के अन्तर्गत आय की गणना**

विवरण	₹	₹
भारतीय कम्पनियों से लाभांश [धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त]		—
उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए मानदेय		20,000
लॉटरी से जीत (शुद्ध)	28,000	
जोड़ें : स्त्रोत पर कर कटौती	12,000	40,000
अन्य स्त्रोत से आय		**60,000**

नोट : धारा 58(4) के अनुसार, लॉटरी से जीत के संबंध में कोई व्यय अथवा कटौती स्वीकार्य नहीं है।

5. **अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती की गणना**

विवरण	₹
धारा 80C के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम (समस्त राशि कटौती के रूप में स्वीकृत है, क्योंकि यह बीमित राशि की 10% की सीमा के अंदर है)	45,000
सार्वजनिक भविश्य निधि	1,50,000
	1,95,000
सीमित	1,50,000
धारा 80G के अर्न्तगत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में दान (नीचे नोट देखें)	5,000
अध्याय VI-A के अन्तर्गत कुल कटौती	**1,55,000**

नोट : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड को किया दान धारा 80G के अन्तर्गत 100% कटौती के लिए पात्र है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. **कुल आय पर कर की गणना**

विवरण	₹
कृषि आय जमा गैर कृषि आय पर कर	
अर्थात् ₹ 8,21,482 (₹ 2,75,000 + ₹ 5,46,482) [नीचे नोट देखें]	93,991
घटायें : कृषि आय जमा मूल विमुक्ति सीमा पर कर अर्थात् ₹ 5,25,000 (₹ 2,75,000 + ₹ 2,50,000) पर कर	30,000
कुल आय पर कर	**63,991**

नोट : ₹ 5,46,482 जमा ₹ 2,75,000 की कृषि आय पर कर की गणना निम्न की है :

विवरण	₹
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर कर	
₹ 2,88,432, 20% की दर से	57,686
लॉटरी पर जीत से कर	
₹ 40,000 30% की दर से	12,000
₹ 4,93,050 (₹ 8,21,482 – ₹ 2,88,432 – ₹ 40,000)	24,305
	93,991

नोट : कृषि आय कर से विमुक्त है। इस पर केवल दर उद्देश्य के लिए विचार किया है।

7. जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि दी गयी शर्त के पूरा करने पर धारा 10(10D) के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से मुक्त है। यह माना गया है कि सभी शर्तों को पूरा किया है।

11. (i) Theta Co-operative Bank को धारा 194A के अन्तर्गत ₹ 48,000 (8% × ₹ 12 लाख × ½) के ब्याज पर 10% की दर से कर कटौती करनी होगी।

(ii) क्योंकि Omega Bank ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) को अपनाया, सभी शाखाओं के द्वारा क्रेडिट/भुगतान योग ब्याज पर विचार करना चाहिए तथा यदि यह ₹ 10,000 से अधिक है कर धारा 194A के अन्तर्गत कटौती योग्य है। Omega Bank को धारा 194A के अन्तर्गत 10% की दर से स्त्रोत पर कर कटौती करनी होगी क्योंकि बैंक की तीन शाखाओं के साथ स्थायी जमा पर योग ब्याज ₹ 16,000 है जो ₹ 10,000 की मूल सीमा से अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

शाखा	जमा की राशि (₹)	ब्याज की दर	माह में अवधि	ब्याज की राशि (₹)
अडयार	60,000	10%	10	5,000
अन्ना नगर	80,000	10%	9	6,000
नगम्बगम	75,000	10%	8	5,000
योग				**16,000**

(iii) गामा बैंक श्रीमती मीना को 31.3.2016 को आवृति जमा पर देय ₹ 13,000 का ब्याज पर धारा 194A के अन्तर्गत 10% की दर से कर कटौती करनी होगी :

(1) 'आवृति जमा' को 'समय जमा' की परिभाषा में सम्मिलित किया; तथा

(2) इस प्रकार का ब्याज ₹ 10,000 की मूल सीमा से अधिक है।

कार्यात्मक टिप्पणी

ब्याज की गणना

= ₹ 20,000 × 10% × [(12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1)/12]

= ₹ 2,000 × (78/12)

= ₹ 13,000

12. कोई व्यक्ति जिसने धारा 139(1) के अन्तर्गत अथवा धारा 142(1) के अन्तर्गत जारी नोटिस के तहत विवरणी को फाइल किया है पुनरीक्षित विवरणी को फाइल कर सकता है यदि वह पहले से फाइल विवरणी में किसी मूल अथवा गलत विवरण को पाता है। तदनुसार,

(i) धारा 139(4) के अन्दर देरी से फाइल विवरणी का पुनर्रीक्षण नहीं किया जा सकता। केवल धारा 139(1) के अन्तर्गत जमा अथवा धारा 142(1) के अन्तर्गत जारी नोटिस के तहत विवरणी का पुनर्रीक्षण किया जा सकता है।

(ii) पहले से पुनर्रीक्षित विवरणी को दोबारा पुनर्रीक्षित किया जा सकता है क्योंकि पहली पुनर्रीक्षित विवरणी मूल विवरणी का प्रतिस्थानापन्न करती है। इसलिए, यदि करनिर्धारी इस प्रकार की पुनर्रीक्षित विवरणी में किसी मूल अथवा गलत विवरण को पाता है, वह निर्धारित समय के अंदर द्वितीय पुनर्रीक्षित विवरणी को जमा कर सकता है अर्थात् प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष अथवा करनिर्धारण की पूर्णता से पूर्व जो भी पहले है।

(iii) धारा 139(3) के अन्तर्गत फाइल हानि की विवरणी को धारा 139(1) के अन्तर्गत फाइल माना जायेगा तथा इसलिए, धारा 139(5) के अन्तर्गत पुनर्रीक्षित किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

13. करनिर्धारण योग्य मूल्य तथा भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क की गणना

विवरण	(₹)
कर तथा शुल्क को छोड़कर मशीन की कीमत	10,00,000
जोड़ें : बाहरी हेंडलिंग प्रभार (नोट 1)	—
संरक्षित पैकिंग प्रभार (नोट 2)	12,500
स्थापना तथा इरेक्शन प्रभार (नोट 3)	—
टेस्टिंग तथा निरीक्षण प्रभार (नोट 2)	40,000
देरी भुगतान प्रभार (नोट 4)	—
इवांयस में वसूल धर्मादा प्रभार (नोट 5)	10,000
निर्धारण योग्य मूल्य	10,62,500
12.5% की दर से भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क (राउंड ऑफ)	**1,32,813**

नोट :

1. बाहरी हेंडलिंग प्रभार को निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं है क्योंकि उसे निकासी के स्थान के पश्चात् उत्पन्न किया।
2. संरक्षित पैकिंग प्रभार तथा टेस्टिंग तथा निरीक्षण प्रभार को निर्धारण योग्य मूल्य में इस तरह सम्मिलित किया है क्योंकि भुगतान बिक्री से जुड़ा है।
3. स्थापना तथा इरेक्शन के व्यय को करनिर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया क्योंकि उसे निकासी के स्थान के पश्चात् उत्पन्न किया तथा स्थापना तथा इरेक्शन के पश्चात् मशीन को स्थायी रूप से जमीन से जोड़ दिया तथा इसलिए यह अचल सम्पत्ति बन गयी।
4. देरी भुगतान प्रभार को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि यह वित्त प्रभार है तथा बिक्री के कारण भुगतान नहीं माना जा सकता।
5. इवांयस में प्रभारित धर्मादा तथा ग्राहक से वसूल धर्मादा को निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित किया है।

14. भुगतानयोग्य सीमा शुल्क की गणना

विवरण	दर %	राशि (₹)	शुल्क की राशि (₹)
करनिर्धारण मूल्य		2,00,000	
मूल सीमा	10	20,000	20,000
CVD की गणना के लिए उपयोग		2,20,000	
CVD (₹ 2,20,000 × उत्पाद शुल्क दर)	12.5	27,500	27,500

© The Institute of Chartered Accountants of India

सीमा पर शिक्षण उपकर के लिए उपयोग (₹ 20,000 + ₹ 27,500)		47,500	
कस्टम का शिक्षण उपकर	2	950	950
कस्टम का माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर	1	475	475
विशेष CVD के लिए उपयोग (₹ 2,00,000 + ₹ 20,000 + ₹ 27,500 + ₹ 950 + ₹ 475)		2,48,925	
धारा 3(5) के अन्तर्गत विशेष CVD	4	9,957	9,957
भुगतान योग्य कुल सीमा शुल्क			**58,882**

क्योंकिABC Ltd. एक सेवा प्रदानकर्ता है, यह केवल CVD का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर सकता है अर्थात् केवल ₹ 27,500 तथा विशेष CVD नहीं।

15. (i) क्योंकि दिये गये मामले में, बिक्री भारत की कस्टम सीमा से वस्तु को पार करने के पश्चात् वस्तु का शीर्ष का प्रपत्र का अंतरण द्वारा प्रभावित है, यह अन्तर्राज्य बिक्री नहीं है, परन्तु निर्यात के दौरान बिक्री है।

(ii) बिक्री दिल्ली में पूरी हो गयी। इसलिए, बिक्री एक राज्य से एक अन्य राज्य में वस्तुओं की गतिविधि नहीं है। अतएव N द्वारा M को वस्तुओं की बिक्री अन्तर्राज्य बिक्री नहीं है।

(iii) क्योंकि इस मामले में, बिक्री भारत के क्षेत्र में वस्तुओं के आयात से हुई है, यह अन्तर्राज्य बिक्री नहीं है परन्तु आयात के दौरान बिक्री है ।

16. **कुल बिक्री मूल्य की गणना**

विवरण	₹
कच्ची सामग्री की अन्तर्राज्य क्रय 10,000 (80,000 × 12.5%) का वेट को छोड़कर	80,000
कच्ची सामग्री की समुंद्री क्रय (नोट 1)	2,03,500
पश्चिम बंगाल से कच्ची सामग्री का क्रय (नोट 2)	51,000
परिवहन प्रभार, मजदूरी तथा निर्माणी व्यय	3,50,000
उत्पादन की लागत	6,84,500
जोड़ें : लाभ मार्जिन 10%	68,450
बिक्री कीमत (वेट को छोड़कर)	7,52,950
जोड़ें : 12.5% की दर से वेट (राउंड ऑफ)	94,119
Total sales value (invoice value)	**8,47,069**

© The Institute of Chartered Accountants of India

शुद्ध वेट दायित्व की गणना

	₹
12.5% की दर से बिक्री पर भुगतान वेट	94,119
घटायें : अंतः राज्य क्रय पर इनपुट पर क्रेडिट (नोट 3)	10,000
शुद्ध भुगतान योग्य वेट	84,119

नोट :

1. उच्च समुंद्र क्रय पर भुगतान शुल्क अर्थात् आयात एक राज्य वेट नहीं है, इसलिए इनपुट कर क्रेडिट उसके संबंध में उपलब्ध नहीं है तथा यह उत्पादन की लागत का भाग है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय क्रय पर कर भुगतान के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट की आज्ञा नहीं है तथा यह उत्पादन की लागत का भाग है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय क्रय पर ₹ 10,000 है। क्योंकि उसका क्रेडिट उपलब्ध होगा, इसे उत्पादन की लागत में सम्मिलित नहीं है।
4. ऋण पर ब्याज को उत्पादन की लागत की गणना करते समय अलग किया है क्योंकि ऋण को वर्किंग पूँजी के उद्देश्य के अतिरिक्त प्राप्त किया है।

17. (a) पहले, वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन का किसी प्रोसेस को चलाने की सेवा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66Dके अन्तर्गत सेवा का नकारात्मक सूची में कवर थी।

यद्यपि वित्त अधिनियम 2015 ने मानव उपयोग के लिए एल्कोहलिक शराब का उत्पादन अथवा निर्माण के लिए प्रोसेस को नकारात्मक सूची की परिधि से निकालने के लिए धारा 66Dको संशोधित किया। आगे, शब्द 'वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन का प्रोसेस भी परिभाषा जैसा धारा 65B में प्रदान किया है, को संशोधित किया ताकि इसे 'मानव उपयोग के लिए एल्कोहलिक शराब' के निर्माण का प्रोसेस का स्कोप को अलग किया जा सके। इसी तरह, मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक शराब का मध्यवर्ती उत्पादन से संबंधित विमुक्ति को हटाने के लिए मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012को भी संशोधित किया।

परिणामतः AB Pvt. Ltd. द्वारा जॉब कार्य आधार पर मानव उपयोग के लिए एल्कोहलिक शराब के निर्माण पर सेवा कर लगेगा।

(b) पहले, ''मनोरंजन समारोह तक प्रवेश अथवा मनोरंजन सुविधा तक पहुंच'' वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66Dके अन्तर्गत सेवा की नकारात्मक सूची में कवर था।

यद्यपि, उक्त प्रविष्टी को वित्त अधिनियम 2015 की धारा 66Dसे हटाया गया। इसलिए, मनोरंजन समारोह तक प्रवेश मनोरंजन सुविधा तक पहुंच पर सेवा कर लगेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, Splash and Splutter water park (एक मनोरंजन सुविधा तक प्रवेश) को प्रवेश शुल्क सेवा कर से वसूली योग्य होगा।

18. ''सहायक उद्यम'' के मामले में, जहां पर सेवा को प्रदान करने वाला व्यक्ति भारत से बाहर है, कराधान का बिंदु होगाः

(a) सेवा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की लेखा की पुस्तकों में डेबिट की तिथि

अथवा

(b) भुगतान को करने की तिथि

जो पहले है

अतएव, दिये गये मामले में, कराधान का बिंदु निम्न दो तिथियों में से पहले होगी

(a) SILकी लेखा की पुस्तकों में डेबिट की तिथि अर्थात् 05.08.2015

अथवा

(b) भुगतान करने की तिथि अर्थात् 24.09.2015

इसलिए, कराधान का बिंदु 05.08.2015होगा।

19. जुलाई 2015 के माह के लिए BIE Academy की सेवा कर के दायित्व की गणना

विवरण	₹
कोचिंग के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पहुंच (नोट 1)	शून्य
ऑनलाइन कोचिंग सत्र के लिए छात्रों से एकत्रित अग्रिम फीस (नोट 2)	12,00,000
ABC School से प्राप्त अग्रिम (नोट 2 तथा 3)	5,92,000
सेवा कर सहित करयोग्य सेवा का मूल्य	17,92,000
सेवा कर दायित्व $\left(\frac{17,92,000 \times 14}{114}\right)$ (राउंड ऑफ)	2,20,070

नोट :

1. सेवा प्रतिफल के लिए चलाये जाने वाली एक गतिविधि है। इसलिए, निशुल्क सेवा के मामले में कोई प्रतिफल नहीं है, उस पर सेवा कर भुगतान योग्य नहीं है।

2. क्योंकि, प्रदान की जाने के लिए सहमत सेवा भी सेवा कर से वसूली योग्य है, प्राप्त अग्रिम भी सेवा कर के लिए दायी होगा (धारा 66B)

   अग्रिम उस समय करयोग्य है जब अग्रिम को प्राप्त किया जाता है (कराधान नियम 2011 का बिंदु का नियम 3)

3. क्योंकि सेवा एक सेवा का प्रदान करने का एक समझौता पर करयोग्य बन जाती है जब्त जमा (समझौता का निरस्तिकरण) समझौता के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवा का प्रावधान के लिए प्रविष्ट किया जाता है। आगे, यदि ABC

© The Institute of Chartered Accountants of India

School को सेवा कर सहित अग्रिम जमा को समझौता का निरस्तिकरण पर वापस कर दिया जाता, सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त हो जाता।

4. क्योंकि पहले वित्तीय वर्ष 2014-15 में भुगतान सेवा कर ₹ 15.6लाख है, उक्त वित्तीय वर्ष में करयोग्य सेवा कर योग मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक होगा। इसलिए, BIE Academy चालू वित्तीय वर्ष 2015-16में लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

20. भुगतानयोग्य सेवा कर की गणना

क्रम संख्या	विवरण	करयोग्य सेवा का मूल्य (₹)	सेवा कर दायित्व (₹)
1.	विपणन योग्यता को बढाने के लिए चमक को बढाने के लिए सेब का मोम के द्वारा सेवा	शून्य	
2.	रेलवे संग्रहालय में प्रवेश (नोट 2)	शून्य	
3.	XYZ Ltd.द्वारा स्वामित्व एक एम्बुलेंस में ABC Nursing Home and Bheem Multispecialty Hospital में रोगियों का परिवहन	शुन्य	
4.	टेली पुरस्कार समारोह में प्रवेश (नोट 4)	5,10,000	5,10,000 ×14% = 71,400
5.	वस्तु परिवहन एजेंसी के द्वारा दूध का परिवहन	शून्य	

नोट :

मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 :

1. फलों की मोम के द्वारा सेवा जो उक्त फूलों की आवश्यक विशेषता को बदलता नहीं है सेवा कर से विमुक्त है।
2. संग्रहालय में प्रवेश के द्वारा प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त है।
3. एक इकाई जो क्लिनिकल स्थापना नहीं है अथवा एक प्राधिकृत चिकित्सा प्रेक्टिशनर अथवा अर्द्धचिकित्सक नहीं है के द्वारा प्रदान एम्बुलेंस सेवा भी सेवा कर से विमुक्त है।
4. पुरस्कार समारोह में प्रवेश के जरिये सेवा सेवा कर से विमुक्त है यदि वसूल राशि इस प्रकार के समारोह के प्रवेश के अधिकार के लिए ₹ 500 प्रति व्यक्ति तक वसूल किया है, एक मामले में प्रति व्यक्ति वसूल राशि ₹ 500 से अधिक है, समस्त प्रतिफल सेवा कर के लिए दायी होगा।
5. वस्तु कैरिज द्वारा दूध, नमक तथा आटा, दाल तथा चावल सहित अनाज की परिवहन की सेवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

21. मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012ST,दिनांक 20.06.2012 (i) संगीत अथवा (ii) नृत्य अथवा (iii) थियेटर के लोक अथवा शास्त्रीय कला स्वरूप में समारोह के द्वारा एक कलाकार द्वारा एक सेवा को विमुक्त करता है। यदि वसूल प्रतिफल ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं है।

यद्यपि यह विमुक्ति, बोर्ड एम्बेसडर के रूप में इस प्रकार का कलाकार द्वारा प्रदान सेवा पर लागू नहीं होता। उपर्युक्त प्रावधान के मत में, केसर महाराज द्वारा प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य समारोह के लिए प्रतिफल ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं है। इसलिए सेवा कर दायित्व शून्य है।

(i) यदि केसर महाराज द्वारा उक्त समारोह के लिए वसूल प्रतिफल ₹ 1,20,000 है वह उस पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा चाहे समारोह नृत्य की शास्त्रीय कला स्वरूप के द्वारा है, उक्त समारोह के लिए वसूल प्रतिफल ₹ 1,00,000 है। इसलिए उसका सेवा कर दायित्व ₹ 16,800 (₹ 1,20,000 × 14%) होगा।

(ii) यदि केसर महाराज खाद्य उत्पाद का बाण्ड एम्बेसडर है तथा उपर्युक्त समारोह इस प्रकार का खाद्य उत्पाद का बढावा देने के लिए है, वह सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा क्योंकि एक ब्राण्ड एम्बेसडर के रूप में एक कलाकार के द्वारा प्रदान सेवा पर लागू नहीं है। इसलिए उसका सेवा कर दायित्व ₹ 13,790 होगा {₹ 98,500 × 14%}

(iii) यदि केसर महाराज समकालीन बोलीवुड स्टाइल नृत्य समारोह को देता है, इस प्रकार का समारोह उपर्युक्त विमुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उसका कारण है कि यद्यपि वसूल प्रतिफल ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं है, उक्त समारोह नृत्य की लोक अथवा शास्त्रीय कला स्वरूप नहीं है। अतएव, सेवा कर उसी पर भुगतानयोग्य होगा। उसका सेवा कर दायित्व ₹ 13,790(₹ 98,500 × 14%) होगा।

22. एक वायु यात्रा एजेंट के द्वारा प्रदान वायु द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की सेवा के संबंध में सेवा कर के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति के पास 14% की दर पर सेवा कर के भुगतान के स्थान पर निम्न राशि के भुगतान का विकल्प है :

निम्न के मामले में	निम्न की दर पर गणना राशि का भुगतान का विकल्प
वायु द्वारा यात्रा के लिए यात्रियों की घरेलू बुकिंग	मूल किराया का 0.7%
वायु द्वारा यात्रा के लिए यात्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय बुकिंग	मूल किराया का 1.4%

अतएव, मूल किराया का अर्थ है कि वायु किराया का भाग जिस पर सामान्यतः एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा एजेंट को कमीशन का भुगतान किया जाता है। इसलिए, श्री पारितोश 14% की सेवा कर के भुगतान के स्थान पर वैकल्पिक दर पर सेवा कर का भुगतान कर सकता है। यद्यपि उसे ध्यान में रखना चाहिए यदि वह इस प्रकार का विकल्प चुनता है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

उसे उसके द्वारा की गयी वायु द्वारा यात्रा के लिए यात्रियों की सभी बुकिंग के संबंध में समरूप पर लागू होगा तथा किसी भी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष में बदला नहीं जा सकता।

हाँ, वैकल्पिक दर पर सेवा कर के भुगतान का विकल्प तीन अन्य सेवा जैसे जीवन बीमा सेवा, धन बदलाव सहित विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा बिक्री तथा लॉटरी के आयोजन सहायता अथवा संवर्द्धन, विपणन के संबंध में उपलब्ध है।

23. वक्तव्य आंशिक रूप से सही है

एक निर्माता इनपुट पर भुगतान उत्पाद शुल्क का सेनवैट क्रेडिट ले सकता है जब उसे

- निर्माता की फैक्टरी; अथवा
- जॉब वर्कर का परिसर, जहां पर वस्तु को निर्माता के निर्देश पर जॉब वर्कर को सीधे भेजा जाता है, में प्राप्त किया जाता है।

  एक आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता इनपुट पर भुगतान उत्पाद शुल्क का सेनवैट क्रेडिट ले सकता है जब इन्हें
- आउटपुट सेवा का प्रदानकर्ता को परिसर में प्राप्त किया है।
- जॉब वर्कर की परिसर में प्राप्त किया जहाँ पर वस्तु को आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता के निर्देश पर सीधे जॉब वर्कर को भेजा।
- इस प्रकार के प्रदानकर्ता (उसके परिसर के अतिरिक्त स्थान पर), इनपुट की सुपुर्दगी तथा लोकेशन का प्रपत्रीकरण साक्ष्य के अनुरक्षण के तहत।

24. **LT Pvt. Ltd. के साथ उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट की गणना**

विवरण	₹
रबर सोल के निर्माण के लिए मशीन (नोट 1)	5,00,000
चप्पल के निर्माण के लिए रबर शीट (नोट 2)	5,00,000
गोंद (नोट 2)	50,000
कर्मचारियों की क्लब सदस्यता शुल्क (नोट 3)	शून्य
टेलीविजन पर चप्पल का विज्ञापन पर उत्पन्न व्यय	5,00,000
कुल उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट	15,50,000

नोट :

1. क्योंकि LT Pvt. Ltd. एक SSI इकाई नहीं है, क्रय के वर्ष में पात्र पूँजी वस्तु के संबंध में उत्पाद शुल्क का 50% तक उपलब्ध है। (CCRका नियम 4)
2. कच्ची सामग्री (रबर शीट) तथा उपयोग योग्य (गोंद) पात्र इनपुट हैं।
3. किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत उपयोग अथवा उपयोग के लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त सेवा इनपुट सेवा की परिभाषा से अलग है।
4. विज्ञापन सेवा एक पात्र इनपुट सेवा है।

© The Institute of Chartered Accountants of India